

परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था (पंजीकृत)
ATOMIC ENERGY EDUCATION SOCIETY (Regd.)

अणुशक्तिनगर, मुंबई - 400 094
Anushaktinagar, Mumbai - 400 094



संस्था का ज्ञापन पत्र
तथा
नियमावली
(18-06-2025 तक अद्यतित)

MEMORANDUM OF ASSOCIATION
&
BYE-LAWS
(Updated as on 18-06-2025)

- बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1950 के अंतर्गत कल्याणकारी संस्था के रूप में दिनांक 31/12/1969 को पंजीकृत-पंजीकरण संख्या एफ1854 (बॉम्बे)।
- Registration No. F 1854 (Bombay) dated 31/12/1969 as Charitable Institution under the Bombay Public Trust Act, 1950.
- रजिस्ट्रेशन ऑफ़ सोसाइटी एक्ट 1860 के अंतर्गत "सोसाइटी" के रूप में दिनांक 21/02/1969 को पंजीकृत-पंजीकरण संख्या बॉम्बे 23/69।
- Registration No. Bombay 23/69 dated 21/02/1969 as a "Society" under the Registration of Societies Act, 1860.

शांता कुमार लाहिरी

एस के लाहिरी

S K LAHIRI

सचिव/ SECRETARY

परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था

Atomic Energy Education Society

अणुशक्तिनगर, मुंबई-400094.

Anushaktinagar, Mumbai-400094

परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था

परिचय

परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था की स्थापना परमाणु ऊर्जा विभाग और उसकी घटक इकाइयों के कर्मचारियों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी। वर्ष 1969 में अणुशक्तिनगर, मुंबई में एक विद्यालय से अपनी मामूली शुरुआत के बाद से, परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था लगातार आगे बढ़ी है और वर्तमान में देश भर में 15 स्थानों पर 30 स्कूलों और जूनियर कॉलेजों का संचालन करती है। यह समर्पित कर्मचारियों द्वारा प्रबंधित एक गतिशील संगठन के रूप में विकसित हुई है, जिन्हें छात्रों के पोषण की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था शिक्षा के अधिकार (RTE) और सामाजिक संवर्धन एवं शिक्षा कार्यक्रम (SEEP) के माध्यम से व्यापक समुदाय तक अपनी सेवाएँ प्रदान करती है, जिससे वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों को सहायता मिलती है।

'तत् त्वं पूषण अपावृणु' - 'शिक्षा सत्य और सदाचार के हमारे मार्ग को प्रकाशित करे', परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था का मार्गदर्शक सिद्धांत है, जो हमारे संस्थान के मिशन और विजन को प्रेरित करता है। परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था का मूलमंत्र उत्कृष्टता है - एक ऐसा गुण जो इसकी शैक्षणिक और प्रशासनिक, दोनों ही गतिविधियों और रणनीतियों में सर्वव्यापी और केंद्रीय बन गया है। शिक्षा प्रणाली में व्यापक परिवर्तन किए गए हैं ताकि इसे न केवल आज के बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाया जा सके, बल्कि समग्र शिक्षा प्रदान करने के संस्थान के सपने को भी साकार किया जा सके।

**परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था
नियमावली**

विषय-क्रम

क्र.सं.	सामग्री	पृष्ठ सं.
	अध्याय - I	
	सामान्य	
1.	संक्षिप्त नाम और प्रारंभ	1
2.	संस्था का नाम और पता	1
3.	परिभाषाएँ और व्याख्या	1
4.	उद्देश्य और लक्ष्य	2
5.	संस्था की संपत्ति का निहित होना (पऊशिसं)	2
	अध्याय - II	
	शासी परिषद का गठन, उसकी बैठक और प्रक्रिया	
6.	शासी परिषद	3
7.	शासी परिषद की बैठक	3
8.	शासी परिषद की बैठक की प्रक्रिया	4
9.	बैठक के अध्यक्ष	4
10.	गणपूर्ति(कोरम) और प्रक्रिया	4
11.	स्थगित बैठक	5
12.	बैठक के कार्यवृत्त	5
13.	परिचालन द्वारा कार्य	5
14.	रिक्त स्थान	5
15.	परिषद की समिति	6
16.	परिषद के आदेशों और निर्णयों का प्रमाणीकरण	6
17.	अयोग्यता	6
	अध्याय - III	
	परिषद और अन्य अधिकारियों की शक्तियाँ	
18.	परिषद की सामान्य शक्तियाँ	6
19.	सेवानिवृत्ति की आयु	8
20.	नियुक्ति प्राधिकारी	8
21.	अनुशासनात्मक प्राधिकारी	8
22.	प्राधिकारियों की विशिष्ट शक्तियाँ	9
	अध्याय -IV	
	कर्मचारी, उनकी श्रेणियाँ और नियुक्तियाँ	
23.	संस्था (पऊशिसं) के कर्मचारियों का वर्गीकरण	12
24.	नियुक्तियाँ एवं पदोन्नति	12
25.	सोसायटी के अध्यक्ष एवं सचिव की नियुक्ति	13
26.	कार्यवाहक अध्यक्ष, पऊशिसं	13
27.	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, पऊशिसं की नियुक्ति	13

शांता कुमार लाहिरी

एस के लाहिरी

S K LAHIRI

सचिव/ SECRETARY

परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था

Atomic Energy Education Society

अणुशक्तिनगर, मुंबई-400094.

Anushaktinagar, Mumbai-400094

	अध्याय - V	
	वित्त एवं लेखा	
28.	वित्तीय वर्ष	13
29.	सोसायटी (पञ्चशिसं) का बजट और निधियाँ	14
30.	लेखापरीक्षा	15
31.	वित्तीय शक्तियों का प्रयोग	15
	अध्याय - VI	
	समितियाँ	
32.	वित्त समिति	16
33.	बिल्डिंग एवं वर्क्स कमिटी	16
34.	शैक्षणिक समिति	17
	अध्याय - VII	
	सेवा शर्तें	
35.	अनुशासनात्मक नियम	17
36.	छुट्टी के नियम	18
37.	कर्मचारियों की पदोन्नति	18
38.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और विकलांग व्यक्तियों के लिए पदों का आरक्षण	18
39.	संविदा सेवाएँ	18
	अध्याय -VIII	
	विविध	
40.	पञ्चशिसं की ओर से अनुबंधों का निष्पादन	18
41.	शाश्वत उत्तराधिकार	18
42.	उप-नियमों में संशोधन	19
43.	अवशिष्ट शक्ति	19
44.	उप-नियमों की व्याख्या	19
45.	ढील देने की शक्ति	19
46.	वार्षिक रिपोर्ट	19
47.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005	19
48.	शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना	19
49.	यौन उत्पीड़न अधिनियम का कार्यान्वयन	19
50.	नियम और विनियम	19
51.	इसमें शामिल नहीं किए गए मामले	20
52.	बचत खंड	20
	अनुबंध	
	बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1950 के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाणपत्र	
	सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाणपत्र	

परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था की नियमावली

अध्याय - I

सामान्य

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

- 1.1 इन उपनियमों और विधियों को "परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था (प.ऊ.शि.सं.) की नियमावली" कहा जाएगा (जिसे आगे "सोसायटी" कहा जाएगा)। ये 18-06-2025 से प्रभावी होंगे।
- 1.2 इन उपनियमों को परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था के नियमों और विनियमों के साथ पढ़ा जा सकता है।

2. संस्था का नाम और पता

सहायता प्राप्त संस्थान का नाम "परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था" होगा, जिसे आगे "सोसायटी" कहा जाएगा। परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था का पंजीकृत कार्यालय केन्द्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र, पऊकेवि-6 भवन, अणुशक्तिनगर, मुंबई-400094 में होगा; वेबसाइट: www.aees.gov.in

3. परिभाषाएँ और व्याख्या

इन उपनियमों में, निम्नलिखित शब्दों और संक्षिप्ताक्षरों के वही अर्थ होंगे जो उनके सामने दिए गए हैं, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा संकेत न मिले :

- (a) "अधिनियम" का अर्थ है परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962
- (b) "प्रशासनिक विभाग" का अर्थ है परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार
- (c) "वित्त समिति" से तात्पर्य शासी परिषद द्वारा गठित सोसायटी की वित्त समिति से है।
- (d) "परिषद/शासी परिषद/जीसी" का तात्पर्य परमाणु ऊर्जा शिक्षा सोसायटी की शासी परिषद से है।
- (e) "बिल्डिंग एवं वर्क्स कमिटी" का तात्पर्य शासी परिषद द्वारा गठित सोसायटी की बिल्डिंग एवं वर्क्स कमिटी से है।
- (f) "नियमावली" का अर्थ है सोसायटी की नियमावली
- (g) "अध्यक्ष" का तात्पर्य प.ऊ.शि.सं. की शासी परिषद के अध्यक्ष से है।
- (h) "अध्यक्ष, प.ऊ.शि.सं." का तात्पर्य परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था (प.ऊ.शि.सं.) के अध्यक्ष से है, जिसे सचिव, प.ऊ.वि. द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- (i) "सचिव" से तात्पर्य परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था के सचिव से है, जो परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था के शासी परिषद के सदस्य सचिव भी हैं, जिन्हें परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव के अनुमोदन से परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है।
- (j) "केंद्र" का तात्पर्य ऐसे स्टेशन से है जिसमें एक या एक से अधिक प.ऊ.शि.सं. संस्थान भौगोलिक निकटता में स्थित हों।
- (k) "केंद्र सरकार/सरकार" से तात्पर्य परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा प्रतिनिधित्व प्राप्त भारत सरकार से है।
- (l) "सक्षम प्राधिकारी" से तात्पर्य इन नियमों या सोसायटी में लागू या किसी अन्य नियम या सरकार/प.ऊ.वि. द्वारा उसके स्वायत्त निकायों/संस्थाओं के लिए जारी किए गए किसी आदेश में विभिन्न प्रयोजनों के लिए इंगित प्राधिकारी से है;
- (m) "आयोग" का अर्थ है परमाणु ऊर्जा आयोग
- (n) "सह-अध्यक्ष" का तात्पर्य प.ऊ.शि.सं. की शासी परिषद के सह-अध्यक्ष से है, जो प.ऊ.शि.सं. का अध्यक्ष है।
- (o) "विभाग" का तात्पर्य परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार से है जिसे आगे "डीएई" भी कहा जाएगा।

शांता कुमार लाहिरी

एस के लाहिरी

S K LAHIRI

सचिव/ SECRETARY

परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था

Atomic Energy Education Society

अणुशक्तिनगर, मुंबई-400094.

Anushaktinagar, Mumbai-400094

- (p) वित्त सलाहकार का तात्पर्य डीआई द्वारा नियुक्त कोषाध्यक्ष, प.ऊ.शि.सं. से है, जिसे प.ऊ.वि. की किसी भी इकाई के आईएफए/जेसी(एफए) में से नियुक्त किया जाता है।
- (q) "सोसायटी" का तात्पर्य परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था (एईईएस) से है जो संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत है और बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट के तहत एक कल्याणकारी संस्था के रूप में पंजीकृत है।
- (r) "सीएओ" का अर्थ है सोसायटी का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
- (s) "राज्य सरकार" का तात्पर्य "महाराष्ट्र सरकार" से है, वह राज्य जहाँ पऊशिस का पंजीकृत कार्यालय है।
- (t) "ट्रस्टी" का तात्पर्य सोसायटी के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष से है क्योंकि यह बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1950 के तहत पंजीकृत एक कल्याणकारी संस्था है।
- (u) "एलएमसी" का अर्थ है स्थानीय प्रबंधन समिति

4. उद्देश्य और लक्ष्य

पऊशिस के लक्ष्य एवं उद्देश्य निम्नलिखित होंगे :

- (i) विद्यालय, कनिष्ठ महाविद्यालय आदि जैसे शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन करना, परमाणु ऊर्जा विभाग के घटक और सहायता प्राप्त इकाइयों के कर्मचारियों के बच्चों को बालवाटिका से कक्षा 12 तक शिक्षित करना और समय-समय पर समाज द्वारा अपनाए गए शिक्षण माध्यमों के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना।
- (ii) परमाणु ऊर्जा विभाग की घटक एवं सहायता प्राप्त इकाइयों के कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चों के लिए कल्याणकारी संस्थानों के माध्यम से विशेष विद्यालयों को शैक्षणिक एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- (iii)(a) शिक्षा के राष्ट्रीय लक्ष्यों के संदर्भ में अपने विद्यालयों और कनिष्ठ महाविद्यालयों को "उत्कृष्टता के केन्द्रों" के रूप में विकसित करना
- (b) केविएस, सीबीएसई, एनसीईआरटी, आदि जैसे अन्य विशेषज्ञ निकायों के सहयोग से शिक्षा में प्रयोग आरंभ करना और उपलब्ध कराना।
- (c) राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना
- (d) उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किसी अन्य गतिविधि को बढ़ावा देना या उसमें संलग्न होना।

5. संस्था(पऊशिस) की संपत्ति का निहित होना

- (a) संस्था की सभी इमारतें, भूमि, मशीनरी, उपकरण, योजनाएं और यंत्र (प्रयोगशाला कार्यशाला या अन्य), पुस्तकें और पत्रिकाएँ, फर्नीचर, साज-सज्जा और जुड़नार परमाणु ऊर्जा विभाग के स्वामित्व में हैं।
- (b) केंद्रीय सरकार या किसी अन्य सरकारी निकाय द्वारा उपलब्ध कराई गई या सोसायटी को उपहार में दी गई या वसीयत की गई सभी संपत्तियाँ, निधियाँ या परिसंपत्तियाँ, नियमों और उप-नियमों के अधीन रहते हुए, सोसायटी की शासी परिषद में निहित होंगी।
- (c) यदि संस्था को बंद कर दिया जाता है, तो परमाणु ऊर्जा विभाग आगे की कार्यवाई का निर्णय लेगा।

शांता कुमार लाहिरी

एम के लाहिरी

S K LAHIRI

सचिव/SECRETARY

परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था

Atomic Energy Education Society

अणुशक्तिनगर, मुंबई-400094.

Anushaktinagar, Mumbai-400094

अध्याय - II

शासी परिषद का गठन, इसकी बैठकें और प्रक्रिया

6. शासी परिषद

नियमों और उप-नियमों के अधीन, सोसायटी के प्रशासन, प्रबंधन और निर्देशन का दायित्व शासी परिषद में निहित होगा, जिसे आगे 'परिषद' कहा जाएगा। परमाणु ऊर्जा विभाग शासी परिषद का गठन करेगा।

6.1 शासी परिषद की संरचना निम्नानुसार होगी :

- (i) सचिव, प.ऊ.वि. परिषद के अध्यक्ष होंगे।
- (ii) प.ऊ.शिसं. के अध्यक्ष परिषद के सह-अध्यक्ष होंगे।
- (iii) प.ऊ.वि. की घटक इकाइयों / पी एस यू / ए आई से प्रतिनिधि
- (iv) संस्थान के संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ/ प्रतिष्ठित शिक्षाविद, जिन्हें परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा नामित किया जाएगा।
- (v) संस्था से संबंधित विभाग के संयुक्त सचिव
- (vi) विभाग के संयुक्त सचिव (वित्त)
- (vii) संस्था के कोषाध्यक्ष
- (viii) संस्था के सचिव सदस्य सचिव होंगे।

किसी भी समय पंद्रह से अधिक व्यक्ति सोसायटी के मुख्य सदस्य नहीं होंगे।

प्रत्येक व्यक्ति को सदस्य के रूप में नामांकित होने पर मात्र 1/- रूपए का प्रवेश शुल्क देना होगा।

6.2 सचिव, प.ऊ.वि. परिषद के पदेन अध्यक्ष होंगे।

6.3 शासी परिषद एक स्थायी परिषद होगी जिसमें पदेन सदस्य और मनोनीत सदस्य शामिल होंगे। पदेन सदस्य शासी परिषद के स्थायी सदस्य होते हैं, जबकि मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः तीन वर्षों का होता है, जिसे तीन वर्ष के एक और कार्यकाल के लिए बढ़ाया जा सकता है। वे एक और कार्यकाल के लिए पुनः मनोनीत होने के पात्र हैं, अर्थात् एक सदस्य को अधिकतम दो कार्यकाल (न्यासियों और पदेन सदस्यों को छोड़कर) की अनुमति दी जा सकती। सदस्यों का कार्यकाल उनके संबंधित संगठन में सेवा के साथ या विभाग द्वारा निर्दिष्ट अवधि के अनुसार समाप्त होगा।

6.4 उपरोक्त अनुच्छेद 6.1 के अनुसार, मुख्य सदस्यों के अतिरिक्त, सभी केन्द्रों के स्था.प.स. के अध्यक्षों को भी आमंत्रित के रूप में बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है।

6.5 जब भी संस्था की नामित सदस्यता में कोई रिक्ति उत्पन्न होती है, तो शासी परिषद, उस रिक्ति को भरने के लिए उपयुक्त पात्र व्यक्ति के नाम की सिफारिश परमाणु ऊर्जा विभाग को करेगी। विभाग द्वारा अनुमोदन मिलने पर वह व्यक्ति मुख्य सदस्य बन जाएगा।

7. शासी परिषद की बैठक

7.1 परिषद की बैठकें प्रत्येक वर्ष कम से कम दो बार, सचिव, परमाणु ऊर्जा संस्थान द्वारा, अध्यक्ष, जी.सी. के परामर्श से निर्धारित तिथि और समय पर बुलाई जाएंगी। इस नियम के प्रयोजनार्थ, प्रत्येक वर्ष उसी वर्ष अर्थात् कैलेंडर वर्ष के 1 जनवरी को प्रारंभ और 31 दिसंबर को समाप्त माना जाएगा। परिषद की बैठकें सोसायटी के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित की जाएंगी, जब तक कि अध्यक्ष अन्य निर्देश न दें।

7.2 परिषद की विशेष बैठक किसी भी अन्य समय अध्यक्ष द्वारा स्वयं की पहल पर या परिषद के कम से कम चार सदस्यों के अनुरोध पर बुलाई जा सकती है।

शंका कुमार लाहिरी

एस के लाहिरी

S K LAHIRI

सचिव/ SECRETARY

परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था

Atomic Energy Education Society

अणुशक्तिनगर, मुंबई-400094.

Anushaktinagar, Mumbai-400094

- 7.3 सोसायटी की वार्षिक आम बैठक सामान्यतः शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति के छह महीने के भीतर आयोजित की जाएगी।
- 7.4 यदि शासी परिषद के अध्यक्ष अनुपस्थित हों तो शासी परिषद के सह-अध्यक्ष बैठक के अध्यक्ष होंगे।
- 7.5 वार्षिक आम बैठक में निपटाए जाने वाले कार्य इस प्रकार होंगे:
 - (i) पिछली बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदित करना;
 - (ii) सोसायटी के कामकाज पर शासी परिषद की रिपोर्ट और पिछले वर्ष के लेखा-परीक्षित विवरण को प्राप्त करना, विचार करना और पारित करना;
 - (iii) इस बात की समीक्षा करना कि क्या सोसायटी के लक्ष्य और उद्देश्य अपेक्षित रूप से प्राप्त हुए हैं और आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए योजना बनाना।
 - (iv) बैठक के कार्यसूची में उल्लिखित किसी अन्य मामले पर विचार करना।

8. शासी परिषद की बैठक की प्रक्रिया

- 8.1 परिषद की किसी भी बैठक के लिए सदस्यों को कम से कम पंद्रह दिन पहले सूचना देनी होगी। बैठक की सूचना के साथ कार्यसूची भी परिचालित की जाएगी। हालाँकि, किसी भी सदस्य को परिषद की किसी भी बैठक की सूचना न मिलने से बैठक की कार्यवाही अमान्य नहीं होगी।
- 8.2 परिषद के सदस्य सचिव द्वारा प्रत्येक बैठक की तिथि, समय और स्थान की सूचना लिखित रूप में सदस्यों को भेजी जाएगी। हालाँकि, अध्यक्ष अत्यावश्यक विशेष मुद्दों पर विचार करने के लिए अल्प सूचना पर परिषद की विशेष बैठक बुला सकते हैं।
- 8.3 नोटिस या तो हाथ से या पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा परिषद के कार्यालय के रिकार्ड में दर्ज प्रत्येक सदस्य के पते पर या ई-मेल द्वारा भेजा जा सकता है और यदि ऐसा किया जाता है तो उसे उसी दिन भेजा गया माना जाएगा जिस समय नोटिस सामान्य डाक द्वारा भेजा जाता है।
- 8.4 कार्यसूची(एजेंडे) में किसी भी बिंदु को शामिल करने के प्रस्ताव की सूचना परिषद के सदस्य सचिव को बैठक से कम से कम एक सप्ताह पहले पहुँच जानी चाहिए। अध्यक्ष किसी भी ऐसे बिंदु को शामिल करने की अनुमति दे सकते हैं जिसके लिए विधिवत सूचना नहीं दी गई हो।

9. बैठक के अध्यक्ष

परिषद का अध्यक्ष परिषद की सभी बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, सह-अध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेगा और वह उस बैठक के लिए अध्यक्ष के सभी अधिकारों और विशेषाधिकारों का प्रयोग करेगा।

10. कोरम और प्रक्रिया

- 10.1 परिषद की किसी भी बैठक में गणपूर्ति (कोरम) हेतु अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या, परिषद के कुल सदस्यों की संख्या का 50% होगी। गणपूर्ति(कोरम) निर्धारित करते समय परिषद में रिक्त पदों को शामिल नहीं किया जाएगा।
- 10.2 परिषद की बैठक में विचार किए जाने वाले सभी मामलों पर सभी सदस्यों की सहमति से निर्णय लिया जाएगा। सदस्यों के बीच मतभेद होने की स्थिति में, बहुमत की राय मान्य होगी।

शांता कुमार लाहिरी

एस के लाहिरी

S K LAHIRI

सचिव/ SECRETARY

परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था

Atomic Energy Education Society

अणुशक्तिनगर, मुंबई-400094.

Anushaktinagar, Mumbai-400094

- 10.3 परिषद के प्रत्येक सदस्य, जिसमें अध्यक्ष भी शामिल है, को एक मत देने का अधिकार होगा, तथा यदि परिषद द्वारा निर्धारित किसी प्रश्न पर मत बराबर हो जाए, तो इसके अतिरिक्त अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।
- 10.4 बैठक के संचालन की प्रक्रिया से संबंधित सभी प्रश्नों के संबंध में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।
- 10.5 यदि परिषद का कोई सदस्य (पऊवि, राज्य सरकार के अधिकारी/प्रतिनिधि तथा न्यासियों के नामित व्यक्ति, यदि कोई हो, को छोड़कर) परिषद से अनुपस्थिति की अनुमति लिए बिना लगातार तीन बैठकों में भाग लेने में विफल रहता है, तो वह परिषद का सदस्य नहीं रह जाएगा।
- 10.6 यदि सोसायटी से संबंधित विभाग के संयुक्त सचिव या संयुक्त सचिव (वित्त) बैठक में उपस्थित नहीं हो पाते हैं, तो उनका प्रतिनिधित्व उनके प्रतिनिधि/नामित व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, जो निदेशक/उप-सचिव के पद से नीचे का नहीं होना चाहिए। इस स्थिति में, प्रतिनिधि/नामित व्यक्ति को पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा और उसे उस विशेष परिषद बैठक के लिए मानद सदस्य माना जाएगा और वह गणपूर्ति का हिस्सा होगा।
11. **बैठक का स्थगन**
यदि बैठक के लिए निर्धारित समय के पंद्रह मिनट बाद गणपूर्ति नहीं होती है, तो बैठक स्थगित कर दी जाएगी और उसी दिन अध्यक्ष द्वारा निर्धारित 30 मिनट के अंतराल के बाद बैठक आयोजित की जा सकती है। गणपूर्ति के अभाव में स्थगित की गई बैठक के लिए गणपूर्ति(कोरम) आवश्यक नहीं होगी।
12. **बैठक का विवरण**
12.1 सचिव, परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था, जो सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे, परिषद की बैठकों के कार्यवृत्त रखेंगे तथा प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति यथाशीघ्र सदस्यों को भेजेंगे।
12.2 यदि कोई संशोधन हो, तो कार्यवृत्त को परिषद की अगली बैठक में पुष्टि के लिए रखा जाएगा। अध्यक्ष द्वारा कार्यवृत्त की पुष्टि और हस्ताक्षर के बाद, उन्हें कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज किया जाएगा, जिसे परिषद के सदस्यों के निरीक्षण के लिए हर समय खुला रखा जाएगा।
13. **परिचालन द्वारा कार्य**
परिषद द्वारा निष्पादित किया जाने वाला सोसायटी का कोई भी कार्य, परिषद की बैठकों में रखे जाने वाले कार्यों को छोड़कर, उसके सभी सदस्यों के बीच परिचालन द्वारा किया जा सकता है और इस प्रकार प्रसारित और सदस्यों के बहुमत द्वारा अनुमोदित कोई भी प्रस्ताव, जिसने ऐसे प्रस्ताव के प्रति अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति दर्शाई हो, उतना ही प्रभावी और बाध्यकारी होगा मानो वह प्रस्ताव परिषद की किसी बैठक में पारित किया गया हो। शासी परिषद द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव को शासी परिषद की अगली बैठक में सूचना के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
14. **रिक्त स्थान**
जब परिषद के किसी मनोनीत सदस्य का पद मृत्यु, त्यागपत्र या किसी अन्य कारण से रिक्त होता है, तो ऐसी रिक्ति उस प्राधिकारी द्वारा भरी जाएगी जिसने ऐसे सदस्य को नियुक्त किया था। ऐसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए इस प्रकार मनोनीत सदस्य, उस सदस्य के शेष कार्यकाल के लिए पद धारण करेगा जिसके स्थान पर उसे मनोनीत किया गया है।

शांता कुमार लाहिरी

एस के लाहिरी

S K LAHIRI

सचिव/ SECRETARY

परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था

Atomic Energy Education Society

अणुशक्तिनगर, मुंबई-400094.

Anushaktinagar, Mumbai-400094

परिषद की सदस्यता में किसी रिक्ति या सदस्य के रूप में कार्यरत किसी व्यक्ति की नियुक्ति में किसी त्रुटि के कारण परिषद का कोई भी कार्य या संकल्प अमान्य नहीं होगा।

15. परिषद की समिति

परिषद अपने सदस्यों या सोसायटी के कर्मचारियों में से समितियों की नियुक्ति कर सकती है और ऐसी समितियों को ऐसी शक्तियाँ और कर्तव्य सौंप सकती है जो उप-नियमों और नियमों/उप-नियमों के अनुसार हों।

16. परिषद के आदेशों और निर्णयों का प्रमाणीकरण

परिषद के सभी आदेश और निर्णय सदस्य सचिव या परिषद द्वारा उसकी ओर से प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे।

17. अयोग्यता

अध्यक्ष सहित परिषद का कोई भी सदस्य केवल इस आधार पर सदस्य बनने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा:

- (a) मानसिक दुर्बलता
- (b) न्यायालय द्वारा आपराधिक दोषसिद्धि
- (c) दिवालियापन
- (d) इस्तीफ़ा
- (e) सेवानिवृत्ति
- (f) मृत्यु

अध्याय - III

परिषद एवं अन्य अधिकारियों की शक्तियाँ

18. A. परिषद की सामान्य शक्तियाँ

भारत सरकार/विभाग द्वारा जारी विभिन्न आदेशों के अधीन, सोसायटी का प्रशासन एवं प्रबंधन परिषद के पर्यवेक्षण में होगा। परिषद को निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी:-

- (i) समय-समय पर संशोधित प.ऊ.वि. के अंतर्गत सहायता प्राप्त स्वायत्त संस्थानों पर लागू प.ऊ.वि. (वित्तीय शक्ति का प्रयोग) नियम, 2004 के अनुसार वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करना।
- (ii) सोसायटी के अधिदेश के लिए विशिष्ट नियम/उप-नियम बनाना और सोसायटी के विभिन्न पदाधिकारियों के कर्तव्यों का निर्धारण करना
- (iii) सोसायटी के प्रशासन के लिए नियम बनाना और संशोधित करना
- (iv) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने के भीतर वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखापरीक्षित लेखा विवरण को अनुमोदित करना।
- (v) सोसायटी अपने कर्मचारियों के लिए स्थापना, वेतन, पेंशन, आचरण और अनुशासनात्मक कार्यवाही आदि से संबंधित नियमों का पालन करेगी, जहाँ तक कि उन्हें परमाणु ऊर्जा विभाग/नोडल मंत्रालयों द्वारा अनुदान प्राप्त संस्थानों पर स्पष्ट रूप से लागू किया गया हो। प.ऊ.शि.सं. के शिक्षकों/कर्मचारियों द्वारा पालन किए जाने वाले आचरण नियम, केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के अनुरूप बनाए गए हैं।
- (vi) सोसायटी के अधिदेश के अनुरूप छात्रों की संख्या का निर्णय करना।
- (vii) ऐसी सलाहकार/विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार करना तथा ऐसी सिफारिशों को स्वीकार करना या न करना।

शांता कुमार लाहिरी

एस के लाहिरी

S K LAHIRI

सचिव/SECRETARY

परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था

Atomic Energy Education Society

अणुशक्तिनगर, मुंबई-400094.

Anushaktinagar, Mumbai-400094

- (viii) सोसायटी के अधिदेश को बढ़ावा देना और विद्यालय/कनिष्ठ महाविद्यालय के शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत की तारीख और अवधि तय करना।
- (ix) शिक्षण और गैर-शिक्षण दोनों कर्मचारियों के लिए सोसायटी के सचिव के स्तर से नीचे भर्ती नियम, पदोन्नति नीति, वेतन संरचना और संवर्ग संरचना तैयार करना, जो मोटे तौर पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों की समान श्रेणियों पर लागू नियमों से अधिक नहीं होगी और जीएफआर और ऐसे अन्य नियमों के प्रावधानों के अनुरूप होगी।
- (x) पदोन्नति के सभी मामलों पर विचार करना और सभी कर्मचारियों को, संबंधित प्रक्रियाओं/मानदंडों का पालन करते हुए, सोसाइटी की पदोन्नति नीति के अनुसार पदोन्नति प्रदान करना।
- (xi) सोसाइटी की ओर से अनुबंधों और अन्य दस्तावेजों का निष्पादन, कानूनी कार्यवाही का संचालन और बचाव, तथा अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने का तरीका। परिषद इन शक्तियों को ऐसे अन्य अधिकारियों को पुनः प्रत्यायोजित कर सकती है जिन्हें आवश्यक समझा जाए।
- (xii) वित्त/स्थायी समिति और किसी अन्य समिति के सदस्यों की नियुक्ति
- (xiii) सांविधिक लेखा परीक्षकों और रिटर्नर्स की नियुक्ति और उनका पारिश्रमिक तय करना।
- (xiv) समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी सोसायटी के "प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन" में विस्तृत रूप से वर्णित सोसायटी के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, परिषद के सदस्यों, स्थानीय प्रबंधन समितियों और अन्य प्रशासनिक प्रमुखों को अपनी शक्तियां सौंपना।
- (xv) सोसायटी द्वारा या उसके विरुद्ध किसी मुकदमे, ऋण, दायित्व या दावे का न्यायालय में या मध्यस्थता द्वारा समझौता करना, निपटाना या प्रतिवाद करना।
- (xvi) सोसायटी के अधीन रखी गई सोसायटी की निधियों और संपत्तियों का प्रबंधन करना। प.ऊ.वि. की पूर्व स्वीकृति के बिना सोसायटी की किसी भी अचल संपत्ति का निपटान नहीं किया जा सकता।
- (xvii) कर्मचारी भविष्य निधि खाते के अंतर्गत निवेश का प्रबंधन, जिसे समय-समय पर वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में निवेश किया जाता है।
- (xix) सोसायटी से संबंधित या उसके अधीन रखी गई संपत्तियों और परिसरों के रखरखाव, दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन और सोसायटी के विभिन्न कार्यों के संचालन के लिए कोई भी व्यय करना;
- (xx) स्था.प्र.स. के किसी भी प्रस्ताव पर विचार करना जो उपनियमों में सूचीबद्ध नहीं है तथा जिसके लिए धन/व्यय की आवश्यकता हो सकती है।
- (xxi) चल या अचल संपत्तियों और भवनों का निर्माण, अधिग्रहण, पट्टा या किराये पर लेना तथा आवश्यक मरम्मत, परिवर्तन आदि द्वारा उनका रखरखाव करना;
- (xxii) चल या अचल संपत्तियों और भवनों का निर्माण, अधिग्रहण, पट्टा या किराये पर लेना तथा आवश्यक मरम्मत, परिवर्तन आदि द्वारा उनका रखरखाव करना;
- (xxiii) सोसायटी के वार्षिक लेखा विवरण और कार्यप्रणाली पर वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना;
- (xxiv) किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई विशेष समिति नियुक्त करना।
- (xxv) शासी परिषद की बैठकें निर्धारित करना।
- (xxvi) सामान्यतः ऐसे अन्य कार्य करें जो सोसायटी के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक या सहायक हों।

शांता कुमार लाहिरी

एस के लाहिरी

S K LAHIRI

सचिव/SECRETARY

परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था

Atomic Energy Education Society

अणुशक्तिनगर, मुंबई-400094.

Anushaktinagar, Mumbai-400094

B. सोसायटी के पदाधिकारियों के कर्तव्य

(i) अध्यक्ष, प.ऊ.शि.सं.

अध्यक्ष, प.ऊ.शि.सं. सोसायटी का प्रमुख होगा।

अध्यक्ष, प.ऊ.शि.सं. का कर्तव्य होगा कि वह सभी बैठकों (शासी परिषद की बैठकों को छोड़कर) की अध्यक्षता करे और अपनी सलाह से उनके विचार-विमर्श की सिफारिश करे। वह उप-नियमों में निर्दिष्ट और परिषद द्वारा निर्देशित अन्य सभी कार्य करेगा।

(ii) सचिव, प.ऊ.शि.सं.

सचिव को-

- (a) शासी परिषद की वैधानिक बैठकें और अन्य बैठकें, जब निर्धारित हों, बुलाना;
 - (b) ऐसी बैठकों की सूचना संबंधित व्यक्तियों को भेजना, शासी परिषद की सभी बैठकों के कार्यवृत्त का सही रिकॉर्ड तैयार करना और रखना;
 - (c) उप-नियमों में उल्लिखित और अध्यक्ष/शासी परिषद द्वारा उसे सौंपे गए अन्य कार्यों को पूरा करना।
 - (d) सोसायटी के सभी पत्राचार करना।
 - (e) सोसायटी को संबोधित पत्र-व्यवहार प्राप्त करना और उनसे उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण मामलों को शासी परिषद के समक्ष रखना।
- (iii) कोषाध्यक्ष, प.ऊ.शि.सं.**
- कोषाध्यक्ष, सोसायटी की सभी वित्तीय एवं लेखा गतिविधियों की निगरानी के लिए उत्तरदायी होगा। वह इन मामलों में, प.ऊ.शि.सं. के अध्यक्ष के माध्यम से शासी परिषद को सलाह देगा।

19. सेवानिवृत्ति की आयु

प.ऊ.शि.सं. कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है।

20. नियुक्ति प्राधिकारी

गवर्निंग काउंसिल 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में लेवल 13 और उससे ऊपर के पदों पर नियुक्ति के लिए नियुक्ति प्राधिकारी होगी।

20.1 अध्यक्ष, प.ऊ.शि.सं., सातवें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में लेवल 10 से लेवल 12 तक के पदों पर नियुक्तियों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी होंगे।

सचिव, प.ऊ.शि.सं., अध्यक्ष, प.ऊ.शि.सं. के अनुमोदन से सातवें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में लेवल 6 से लेवल 9 तक के पदों पर नियुक्तियों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी होंगे।

20.2 मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (सीएओ), प.ऊ.शि.सं., अध्यक्ष, प.ऊ.शि.सं. के अनुमोदन से 7वें सीपीसी के वेतन मैट्रिक्स में लेवल 6 से नीचे के पदों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी होंगे।

21. अनुशासनात्मक प्राधिकारी

21.1 परिषद अपने उन कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई आरंभ कर सकती है जिनके लिए परिषद नियुक्ति प्राधिकारी है। सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग ऐसे सभी मामलों में अपीलीय, पुनरीक्षण एवं समीक्षा प्राधिकारी होंगे।

21.2 अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा विभाग उन सभी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई आरंभ कर सकते हैं जिनके लिए वे नियुक्ति प्राधिकारी हैं। परिषद अपीलीय प्राधिकारी होगी। सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग ऐसे सभी मामलों में पुनरीक्षण एवं समीक्षा प्राधिकारी होंगे।

शान्ता कुमार लाहिरी

एस के लाहिरी

S K LAHIRI

सचिव/SECRETARY

परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था

Atomic Energy Education Society

अणुशक्तिनगर, मुंबई-400094.

Anushaktinagar, Mumbai-400094

- 21.3 सचिव, परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था उन कर्मचारियों के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी होंगे जिनके लिए वे नियुक्ति प्राधिकारी हैं। ऐसे सभी मामलों में अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था अपीलीय प्राधिकारी होंगे और परिषद पुनरीक्षण एवं समीक्षा प्राधिकारी होगी।
- 21.4 मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प.ऊ.शि.सं. उन सभी पदों के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी होंगे जिनके लिए वे नियुक्ति प्राधिकारी हैं। ऐसे सभी मामलों में सोसायटी के सचिव अपीलीय प्राधिकारी होंगे और अध्यक्ष, प.ऊ.शि.सं. पुनरीक्षण एवं समीक्षा प्राधिकारी होंगे।

22. प्राधिकारियों की विशिष्ट शक्तियाँ

22.1 अध्यक्ष, प.ऊ.शि.सं.

- प.ऊ.शि.सं. के अध्यक्ष, सोसायटी के प्रमुख हैं और एफआर एवं एसआर, सामान्य वित्तीय नियम, टीए नियम, एलटीसी नियम, भविष्य निधि (अंशदायी और सामान्य दोनों) नियम, चिकित्सा देखभाल नियम, एनपीएस नियम, प.ऊ.शि.सं. (कर्मचारी) भविष्य निधि नियम के तहत विभागाध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं।
- अध्यक्ष, प.ऊ.शि.सं. को परिषद द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन, सोसायटी के कर्मचारियों/छात्रों को भारत के अंदर या भारत के बाहर विनिमय कार्यक्रम या शिक्षण पाठ्यक्रम के लिए भेजने का अधिकार होगा।
 - आपातकालीन परिस्थितियों में और सोसायटी के हित में, अध्यक्ष, प.ऊ.शि.सं. परिषद की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं और अनुमोदन के लिए अपने द्वारा की गई कार्रवाई की सूचना देंगे।
 - प.ऊ.शि.सं. के अध्यक्ष एक कोषाध्यक्ष की सिफारिश कर सकते हैं, जो मुंबई स्थित परमाणु ऊर्जा विभाग की किसी भी इकाई का आईएफए/जेसी (एफए) होगा। प.ऊ.शि.सं. के कोषाध्यक्ष का नामांकन परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा, प.ऊ.शि.सं. के अध्यक्ष की सिफारिश के आधार पर किया जाता है।
 - प.ऊ.शि.सं. के अध्यक्ष, प्रतिष्ठित शिक्षाविदों में से कुछ शासी परिषद के सदस्यों की नियुक्ति के लिए सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग को सिफारिश कर सकते हैं।
 - प.ऊ.शि.सं. के अध्यक्ष को सोसायटी के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उपयुक्त समझी जाने वाली किसी भी समिति का गठन करने का अधिकार है।
 - प.ऊ.शि.सं. के अध्यक्ष प्रत्येक केंद्र के विद्यालयों और कनिष्ठ महाविद्यालयों के लिए स्थानीय प्रबंधन समितियों (एलएमसी) का गठन करेंगे और उस केंद्र के विद्यालयों और कनिष्ठ महाविद्यालयों के दैनिक कामकाज के लिए समिति को उपयुक्त जिम्मेदारियाँ और शक्तियाँ सौंपेंगे।
 - प.ऊ.शि.सं. के अध्यक्ष शैक्षणिक कार्यक्रमों और अन्य विकासात्मक गतिविधियों में सुधार से संबंधित मामलों पर सोसायटी को सिफारिश और सलाह देने के लिए एक शैक्षणिक इकाई और क्षेत्रीय शैक्षणिक प्रकोष्ठ (जहाँ आवश्यक हो) का गठन कर सकते हैं, और आवश्यकतानुसार शैक्षणिक इकाई और क्षेत्रीय शैक्षणिक प्रकोष्ठों में शिक्षण और सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकते हैं। परिषद/अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा शिक्षा संस्थान अपनी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियाँ शैक्षणिक इकाई या क्षेत्रीय शैक्षणिक प्रकोष्ठों के प्रमुख को उचित रूप से सौंप सकते हैं। शैक्षणिक इकाई और क्षेत्रीय शैक्षणिक प्रकोष्ठ क्रमशः सचिव, परमाणु ऊर्जा शिक्षा संस्था और अध्यक्ष, एलएमसी को रिपोर्ट करेंगे।
 - अध्यक्ष, प.ऊ.शि.सं., आवश्यकतानुसार, अभिभावकों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए सोसायटी के अंतर्गत आने वाले किसी भी संस्थान के लिए स्कूल सलाहकार समितियों या ऐसी अन्य समितियों का गठन कर उन्हें उपयुक्त उत्तरदायित्व सौंप सकते हैं।

- (ix) अध्यक्ष, प.ऊ.शि.सं., परिषद द्वारा अनुमोदित योजनाओं के अनुसार छात्रों को छात्रवृत्ति और वजीफा प्रदान कर सकते हैं।
- (x) अध्यक्ष, प.ऊ.शि.सं., आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से, आवश्यकतानुसार न्यूनतम वेतन के भुगतान के अधीन शिक्षकों/परियोजना कर्मचारियों/परियोजना सहायकों/तकनीशियनों और सलाहकारों सहित अन्य जनशक्ति की नियुक्ति करने का अधिकार रखते हैं और ऐसी नियुक्ति एक शैक्षणिक सत्र/एक वर्ष से अधिक या परियोजना पूर्ण होने की अवधि तक, जो भी पहले हो, के लिए नहीं होगी। सरकार/परमाणु ऊर्जा विभाग (यदि कोई हो) के मानदंडों का पालन किया जाएगा।
- (xi) अध्यक्ष, प.ऊ.शि.सं. मुख्यालय से अपनी अनुपस्थिति (30 दिनों से अधिक नहीं) के दौरान, सचिव, प.ऊ.शि.सं. को अध्यक्ष पद के वर्तमान कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए अधिकृत कर सकते हैं। इसकी सूचना अध्यक्ष, शासी परिषद को तुरंत और अगली बैठक में परिषद को भी दी जाएगी।
- (xii) सचिव, प.ऊ.शि.सं. की अनुपस्थिति के दौरान, सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग के अनुमोदन से, अध्यक्ष, प.ऊ.शि.सं., सचिव, प.ऊ.शि.सं. के किसी भी कार्य को स्वयं संभाल सकते हैं या सोसायटी के किसी अन्य कर्मचारी को सौंप सकते हैं, जैसा कि वे उचित समझें।
- (xiii) गैर-हकदार अधिकारियों के लिए हवाई यात्रा को अधिकृत करने की पूर्ण शक्तियाँ, बशर्ते व्यय "यात्रा व्यय" शीर्षक के अंतर्गत आवंटन के भीतर रखा जाए। इस शक्ति का प्रयोग केवल असाधारण मामलों में ही संयम से किया जाना चाहिए।
- (xiv) परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत वित्तीय शक्तियों के प्रयोग-सहायता प्राप्त स्वायत्त संस्थानों के अंतर्गत शासी परिषद द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग अध्यक्ष, प.ऊ.शि.सं. करेंगे।

22.2 सचिव, प.ऊ.शि.सं.

- (i) सचिव, प.ऊ.शि.सं., सोसायटी के प्रशासन और प्रबंधन के लिए उप-नियमों, नियमों/उप-नियमों के अनुसार सोसायटी के कार्यों को आगे बढ़ाने में अध्यक्ष की सहायता करेंगे। किसी आपात स्थिति में, वह अध्यक्ष, प.ऊ.शि.सं. के अनुमोदन से आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं।
- (ii) सचिव, प.ऊ.शि.सं. को उन पदों के संबंध में कार्मिकों की भर्ती और पदोन्नति करने का अधिकार होगा जिनके लिए वह नियुक्ति प्राधिकारी हैं।
- (iii) सचिव, प.ऊ.शि.सं. को अध्यक्ष, प.ऊ.शि.सं. के अनुमोदन से और परिषद द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन, सोसायटी के कर्मचारियों को प्रशिक्षण या भारत के अंदर अनुदेश के पाठ्यक्रम के लिए प्रतिनियुक्त करने का अधिकार होगा।
- (iv) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प.ऊ.शि.सं. की अनुपस्थिति के दौरान, सचिव, प.ऊ.शि.सं., अध्यक्ष, प.ऊ.शि.सं. के अनुमोदन से, सीएओ के किसी भी कार्य को सोसायटी के किसी अन्य कर्मचारी को सौंपेंगे या उसे जिम्मेदारी सौंपेंगे, जैसा वह उचित समझे।
- (v) सचिव, प.ऊ.शि.सं., अध्यक्ष, प.ऊ.शि.सं. के अनुमोदन से, अपने में निहित किसी भी अधिकार, उत्तरदायित्व और प्राधिकार को, सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग के अनुमोदन से, सोसायटी के शैक्षणिक या प्रशासनिक कर्मचारी के एक या अधिक सदस्यों को सौंप सकते हैं।
- (vi) सचिव, प.ऊ.शि.सं., अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और विकलांग व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण से संबंधित नियमों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगे।

- (vii) सचिव, प.ऊ.शि.सं., परिषद/अध्यक्ष के अनुमोदन से कर्मचारियों से संबंधित न्यायालय के निर्णयों के कार्यान्वयन या अन्यथा के संबंध में निर्णय लेंगे।
- (viii) सचिव, प.ऊ.शि.सं., अध्यक्ष, प.ऊ.शि.सं. के अनुमोदन और आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से मामलों की पैरवी के लिए कानूनी परामर्शदाता/अधिवक्ता/वकील नियुक्त कर सकते हैं और शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।
- (ix) इंटरनेट और ई-मेल सुविधा की स्थापना के लिए अनुमोदन।
- (x) निर्धारित क्रय प्रक्रिया का पालन करते हुए केंद्रीय कार्यालय और सभी प.ऊ.शि.सं. विद्यालयों/जूनियर कॉलेजों के लिए कंप्यूटर और सहायक उपकरणों की खरीद।
- (xi) सभी पात्र अधिकारियों के समूहों को पेंशन और पेंशन संबंधी लाभों की स्वीकृति।

22.3 कोषाध्यक्ष, प.ऊ.शि.सं.

- (i) वित्तीय निहितार्थों से संबंधित सभी मामलों में, कोषाध्यक्ष, प.ऊ.शि.सं. की सहमति प्राप्त की जानी चाहिए।
- (ii) वित्तीय निहितार्थों से संबंधित प्रस्तावों के लिए जीएफआर के प्रावधानों के अनुसार और वित्तीय औचित्य के अनुरूप आंतरिक वित्त की सहमति आवश्यक है।
- (iii) किसी भी संदेह की स्थिति में, प्रस्ताव/मामला कोषाध्यक्ष और सचिव, प.ऊ.शि.सं. के माध्यम से स्पष्टीकरण के लिए अध्यक्ष, प.ऊ.शि.सं. को भेजा जा सकता है।
- (iv) यदि किसी भी व्यय के लिए अध्यक्ष, प.ऊ.शि.सं. की स्वीकृति मांगी जाती है, तो संबंधित प्रस्ताव कोषाध्यक्ष और सचिव, प.ऊ.शि.सं. के माध्यम से उनके समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे।
- (v) जहाँ तक मुंबई के स्कूलों का संबंध है, अध्यक्ष, एलएमसी, सचिव और अध्यक्ष, प.ऊ.शि.सं. से प्रशासनिक और वित्तीय अनुमोदन से संबंधित प्रस्ताव मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/कोषाध्यक्ष के माध्यम से भेजे जाने चाहिए।

22.4 मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प.ऊ.शि.सं.

- (i) परिभाषा के अनुसार, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (मु.प्र.अ.) सोसाइटी सील का संरक्षक होता है। सोसाइटी से संबंधित सभी मामलों में, वह AEES के सचिव एवं अध्यक्ष के सामान्य नियंत्रण एवं आदेशों के अधीन कार्य करेगा/करेगी।
- (ii) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प.ऊ.शि.सं., प.ऊ.शि.सं. के सचिव एवं अध्यक्ष के निर्देशों के अधीन, सोसाइटी से संबंधित पत्राचार के प्रभारी होंगे।
- (iii) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प.ऊ.शि.सं., सोसाइटी के प्रशासनिक/गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों और सामान्य रखरखाव कर्मचारियों के प्रभारी होंगे।

22.5 स्थानीय प्रबंधन समितियाँ (एलएमसी)

- (i) स्थानीय प्रबंधन समितियाँ (एलएमसी) समय-समय पर, प.ऊ.शि.सं. द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अपने नियंत्रण में आने वाले सभी स्कूलों, जूनियर कॉलेजों के दिन-प्रतिदिन के कामकाज के लिए जिम्मेदार होंगी।
- (ii) स्थानीय प्रबंधन समितियाँ शासी परिषद द्वारा प्रत्यायोजित प्रशासनिक, वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेंगी।
- (iii) स्थानीय प्रबंधन समिति अपने नियंत्रण में आने वाले स्कूलों, जूनियर कॉलेजों के परिसरों के संरक्षण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगी।
- (iv) स्थानीय प्रबंधन समिति इस उद्देश्य के लिए प.ऊ.शि.सं. द्वारा प्रदान किए गए नियमों/विनियमों के अनुसार अनुबंध/तदर्थ आधार पर शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सेवाएँ लेते समय अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी।

इस नियम या इन उप-नियमों में किसी अन्य नियम में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव को किसी भी समय शासी परिषद, स्थानीय प्रबंधन समितियों और इन नियमों में उल्लिखित किसी भी अन्य समितियों का पुनर्गठन करने का पूर्ण अधिकार होगा। ऐसे पुनर्गठन के बाद, उक्त परिषद/समिति के पूर्व सदस्य, जिनमें इसके अध्यक्ष, सचिव और सोसायटी के कोषाध्यक्ष शामिल हैं, यथास्थिति, तत्काल उक्त निकायों के सदस्य नहीं रहेंगे या पद धारण नहीं करेंगे।

अध्याय - IV

कर्मचारी, उनकी श्रेणियाँ और नियुक्तियाँ

23. सोसायटी (प.ऊ.शि.सं.) के कर्मचारियों का वर्गीकरण

आकस्मिक व्यय से भुगतान पाने वाले कर्मचारियों और परियोजना कर्मचारियों को छोड़कर, प.ऊ.शि.सं. के कर्मचारियों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाएगा:-

- A. शैक्षणिक: - जिसमें प्रधानाचार्य, उप-प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका, स्नातकोत्तर शिक्षक, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, प्रारंभिक शिक्षक और ऐसे अन्य शैक्षणिक पद शामिल होंगे, जैसा कि परिषद द्वारा तय किया जा सकता है। किसी विशेष पद के शैक्षणिक होने के बारे में किसी भी संदेह की स्थिति में, अध्यक्ष, प.ऊ.शि.सं. का निर्णय अंतिम होगा।
- B. प्रशासनिक और सहायक सहित अन्य: - जिसमें मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निदेशक, प्रशासनिक अधिकारी- III, वरिष्ठ लेखा अधिकारी/लेखा अधिकारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, सहायक लेखा अधिकारी, निजी सचिव, सहायक, सहायक लेखाकार, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, डीपीए/वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, यूडीसी, एलडीसी, ड्राइवर, कार्य सहायक और प्रयोगशाला सहायक और ऐसे अन्य प्रशासनिक और अन्य कर्मचारी शामिल होंगे, जैसा कि अध्यक्ष, प.ऊ.शि.सं./परिषद द्वारा तय किया जा सकता है।
- C. इसके अतिरिक्त, सोसायटी के कर्मचारियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा:
 - (i) स्तर 10 और उससे ऊपर के पदों को भारत सरकार सेवा के समूह 'क' पदों के साथ वर्गीकृत और समतुल्य माना जाएगा।
 - (ii) स्तर 6 से 9 को भारत सरकार सेवा के समूह 'ख' पदों के साथ वर्गीकृत और समतुल्य माना जाएगा।
 - (iii) स्तर 5 से नीचे के पदों को भारत सरकार सेवा के समूह 'ग' पदों के साथ वर्गीकृत और समतुल्य माना जाएगा।
 (उपरोक्त वर्गीकरण को भारत सरकार द्वारा संशोधित किए जाने पर संशोधित माना जाएगा।)

24. नियुक्तियाँ और पदोन्नतियाँ

- a. सभी पद सोसायटी के स्वीकृत भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार भरे जाएँगे। सभी पद सामान्यतः विज्ञापनों द्वारा भरे जाएँगे। किन्तु अपवादात्मक मामलों में, परिषद को अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था की अनुशंसा पर यह निर्णय लेने का अधिकार होगा कि किसी पद को सोसायटी के कर्मचारियों में से आमंत्रण द्वारा या पदोन्नति द्वारा भरा जाए।
- b. नियुक्तियाँ करते समय, सोसायटी भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और दिव्यांगजनों के लिए पदों के आरक्षण हेतु शासी परिषद के निर्देशानुसार आवश्यक प्रावधान करेगी।

शांता कुमार लाहिरी

- c. जहाँ कोई पद संविदा के आधार पर या आमंत्रण द्वारा भरा जाना हो, वहाँ अध्यक्ष, प.ऊ.शि.सं. अपने विवेकानुसार, प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुसार तदर्थ चयन समिति का गठन कर सकते हैं।
- d. जहाँ कोई पद सोसायटी के कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा या अस्थायी रूप से 12 महीने से अधिक की अवधि के लिए भरा जाना हो, वहाँ परिषद अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करेगी।
- e. इन उप-नियमों में किसी बात के होते हुए भी, परिषद को "अनुमोदित" कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षित व्यक्तियों की नियुक्ति ऐसी रीति से करने की शक्ति है, जैसा वह उचित समझे।
- f. परिषद, सोसायटी में प्रवासी भारतीय नागरिकों (ओसीआई) की नियुक्ति के लिए सरकार के विनियमों के अनुरूप नियम या प्रक्रियाएँ बना सकती है।
- g. जब तक उप-नियमों के अंतर्गत अन्यथा प्रावधान न किया गया हो, इन कानूनों के अंतर्गत गठित चयन समिति नियुक्ति होने तक उस पद के संबंध में अपने कार्य करने के लिए पात्र होगी।
- h. सभी नियुक्तियाँ/पदोन्नतियाँ परिषद को उसकी अगली बैठक में सूचित की जाएंगी।

25. सोसायटी के अध्यक्ष और सचिव की नियुक्ति

- 25.1 सोसायटी के अध्यक्ष और सचिव के पदों के लिए नामांकन सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा किया जाएगा।
- 25.2 सोसायटी के अध्यक्ष और सचिव का कार्यकाल सामान्यतः एक बार में तीन वर्ष से अधिक नहीं होगा।
- 25.3 वे सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा अगले कार्यकाल के लिए पुनः नामांकन के पात्र होंगे। सोसायटी के अध्यक्ष/सचिव का पद धारण करने वाले व्यक्ति की अधिकतम आयु 65 वर्ष होगी।

26. कार्यवाहक अध्यक्ष/ प्रभारी अध्यक्ष, प.ऊ.शि.सं.

खंड 25 में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग, प.ऊ.शि.सं. के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं, अर्थात्, प.ऊ.शि.सं. के अध्यक्ष की अनुपस्थिति (एक बार में 30 दिनों से अधिक) में, प.ऊ.शि.सं. के कार्यवाहक अध्यक्ष को नियुक्त कर सकते हैं। इसकी सूचना अगली बैठक में परिषद को दी जाएगी। वह दिन-प्रतिदिन के कार्यों में भाग लेंगे और सोसायटी के नियमित अध्यक्ष की वैधानिक शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे।

27. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प.ऊ.शि.सं. की नियुक्ति

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (मु.प्र.अ.), प.ऊ.शि.सं. की नियुक्ति, चाहे उनका वेतनमान कुछ भी हो, प.ऊ.शि.सं. के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी।

अध्याय - V वित्त एवं लेखा

28. वित्तीय वर्ष

सोसायटी का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा।

निधि और संपत्तियाँ

- (a) सोसायटी को पूर्णतः परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा और सोसायटी के धन का उपयोग केवल सोसायटी के उद्देश्यों और लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए किया जाएगा;
- (b) 'सोसायटी' के पदाधिकारी सोसायटी से संबंधित दस्तावेजों सहित सभी मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे;

शांता कुमार लाहिरी

एस के लाहिरी

S K LAHIRI

सचिव/SECRETARY

परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था

Atomic Energy Education Society

अणुशक्तिनगर, मुंबई-400094

Anushaktinagar, Mumbai-400094

- (c) कोषाध्यक्ष सभी चेक बुक के लिए जिम्मेदार होगा;
- (d) सोसायटी के धन को सोसायटी के नाम पर उस तरीके से निवेश किया जाएगा जैसा कि शासी परिषद द्वारा तय किया जा सकता है;

बैंक खातों के संचालन के लिए

सोसायटी खाते:

मुंबई के लिए

अनुसूचित बैंकों में खोले जाने वाले बैंकिंग खाते अनुदान के लिए सोसायटी के नाम पर होंगे और इनका संचालन उपयुक्त स्तर के निम्नलिखित किन्हीं दो अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा, जिन्हें अध्यक्ष, प.ऊ.शि.सं. द्वारा प्राधिकृत किया जाएगा, जिनमें से एक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता लेखा अनुभाग से होगा।

1. सचिव, प.ऊ.शि.सं.
2. कोषाध्यक्ष, प.ऊ.शि.सं.
3. अध्यक्ष, प.ऊ.शि.सं. द्वारा नामित उपर्युक्त स्तर पर केंद्रीय कार्यालय, प.ऊ.शि.सं. से कोई दो अधिकारी।
4. वरिष्ठ लेखा अधिकारी/लेखा अधिकारी, प.ऊ.शि.सं. या उनकी अनुपस्थिति में, वरिष्ठतम सहायक लेखा अधिकारी।

मुंबई के अलावा

बैंकिंग खाते, जो अनुसूचित बैंकों/राष्ट्रीयकृत बैंकों में होंगे, अनुदान के लिए सोसायटी के नाम पर होंगे तथा निम्नलिखित में से किन्हीं दो द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किए जाएंगे:

- (a) जहां पृथक प्रशासन एवं लेखा इकाई मौजूद नहीं है।
 - (i) अध्यक्ष, स्था.प्र.स.
 - (ii) स्था.प्र.स. के कोई भी दो सदस्य, जिन्हें प.ऊ.शि.सं. के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा
- (b) जहां एक अलग प्रशासन और लेखा इकाई मौजूद है।
 - (i) विद्यालय प्रमुख, अध्यक्ष, प.ऊ.शि.सं. द्वारा नामित
 - (ii) विद्यालय के कोई भी दो कर्मचारी, अध्यक्ष, प.ऊ.शि.सं. द्वारा नामित, जिनमें से एक सदस्य लेखा अधिकारी होगा;

परमाणु ऊर्जा विद्यालय विकास निधि खाता

प्रत्येक प.ऊ.के.वि./क.म. का "परमाणु ऊर्जा विद्यालय विकास निधि" के लिए एक राष्ट्रीयकृत बैंक में एक अलग बैंक खाता (अधिमानतः स्वीप मोड में) होना चाहिए, जो विद्यालय के अन्य खातों से अलग होना चाहिए। जिन स्थानों पर प.ऊ.शि.सं. द्वारा संचालित एक से अधिक विद्यालय हैं, वहाँ प्रत्येक विद्यालय का अपने 'परमाणु ऊर्जा विद्यालय विकास निधि' के लिए एक अलग खाता होगा। खाते पर चार हस्ताक्षरकर्ता होंगे:

- (i) अध्यक्ष, पीयूवीवीएन समिति
- (ii) सदस्य सचिव, पीयूवीवीएन समिति
- (iii) मुख्य अध्यापक (वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के मामले में वरिष्ठ टीजीटी/वरिष्ठ पीजीटी)
- (iv) प.ऊ.वि.वि.नि. समिति का एक सदस्य

प.ऊ.वि.वि.नि. समिति के अध्यक्ष तथा तीन हस्ताक्षरकर्ताओं में से कोई एक व्यक्ति खाते का संचालन करेगा।

29. सोसायटी का बजट और निधि (प.ऊ.शि.सं.)

- 29.1 प.ऊ.शि.सं. के सचिव, प.ऊ.शि.सं. के अध्यक्ष के परामर्श से संस्था के वार्षिक बजट अनुमान तैयार करने के प्रभारी होंगे और उस पर परिषद का अनुमोदन प्राप्त करेंगे। ये अनुमान वित्त मंत्रालय/परमाणु ऊर्जा विभाग के निर्धारित प्रारूप के अनुसार विभिन्न लेखा शीर्षों के अंतर्गत दिए जाएंगे।

शांता कुमार् लाहिरी

एस के लाहिरी

S K LAHIRI

सचिव/SECRETARY

परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था

Atomic Energy Education Society

अणुशक्तिनगर, मुंबई-400094.

Anushaktinagar, Mumbai-400094

सोसायटी की निधि में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (i) परमाणु ऊर्जा विभाग, उसकी घटक इकाइयों, परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और परमाणु ऊर्जा विभाग के सहायता प्राप्त संस्थानों से अनुदान।
 - (ii) सोसायटी की संपत्तियों, परिसंपत्तियों और निवेशों, सोसायटी के प्रकाशनों की बिक्री, समय-समय पर लगाए जाने वाले शिक्षण और अन्य शुल्क, उपयोगकर्ता शुल्क आदि से प्राप्त या उपार्जित आय और लाभ।
 - (iii) परिषद द्वारा अनुमोदित अन्य स्रोतों से प्राप्त अंशदान या अनुदान।
 - (iv) किसी अन्य स्रोत से आय
 - (v) कॉर्पस फंड
- 29.2 प्राप्ति और व्यय के संबंध में जानकारी निम्नलिखित के अनुसार होगी:-
- (a) पिछले वर्ष के वास्तविक आँकड़े
 - (b) चालू वर्ष के लिए अनुमोदित बजट अनुमान
 - (c) चालू वर्ष के लिए संशोधित अनुमान
 - (d) अगले वर्ष के लिए बजट अनुमान
- 29.3 खातों का रखरखाव लेखा मानकों के अनुसार और कानून द्वारा अपेक्षित निर्धारित प्रारूप में किया जाएगा।
- 29.4 कोषाध्यक्ष सोसायटी के खातों के लिए उत्तरदायी होगा।
- 29.5 सभी भुगतान बिलों पर "भुगतान हेतु पारित" का पृष्ठांकन अंकित होगा और उन पर अध्यक्ष, प.ऊ.शि.सं. या सोसायटी के किसी अधिकारी, जिसे यह अधिकार प्रत्यायोजित किया गया है, के हस्ताक्षर होंगे।
- 29.6 अध्यक्ष, प.ऊ.शि.सं. द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली राशि का एक स्थायी अग्रिम, लेखा अधिकारी या सोसायटी के किसी अधिकारी, जिसे अध्यक्ष, प.ऊ.शि.सं. द्वारा अधिकृत किया गया हो, द्वारा नकद भुगतान के लिए रखा जा सकता है।
- 29.7 सोसायटी के लिए या उसकी ओर से प्राप्त सभी धनराशि को सोसायटी के नाम पर किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, बैंक या परमाणु ऊर्जा विभाग की प्रक्रियाओं के अनुसार वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किसी अन्य बैंक में चालू, बचत या सावधि जमा खातों में रखा जाएगा।
- 29.8 निरीक्षण: परिषद का कोई भी सदस्य, सचिव, प.ऊ.शि.सं. के साथ पूर्व नियुक्ति करके संस्था के खातों की जाँच कर सकता है। ऐसी पूर्व नियुक्ति सचिव, प.ऊ.शि.सं. को लिखित अनुरोध करके प्राप्त की जा सकती है। सचिव, प.ऊ.शि.सं. ऐसा अनुरोध प्राप्त होने पर, सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर एक दिन और समय निर्धारित करेंगे और सदस्य को तदनुसार सूचित करेंगे।

30. लेखा परीक्षा (ऑडिट)

सोसायटी के खातों का लेखा-परीक्षण प्रतिवर्ष योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट या लेखाकारों (सांविधिक लेखा परीक्षकों) द्वारा विधि द्वारा निर्धारित अनुसार किया जाएगा और इस प्रयोजन हेतु समय-समय पर परिषद के अनुमोदन से अध्यक्ष, प.ऊ.शि.सं. द्वारा उनकी नियुक्ति की जाएगी। सांविधिक लेखा परीक्षकों का चयन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सूचीबद्ध सूची में से किया जाना चाहिए। लेखा परीक्षकों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

31. वित्तीय शक्तियों का प्रयोग

सोसायटी, क्रय, निर्माण अनुबंध, परामर्श अनुबंध आदि के संबंध में वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन से संबंधित मामलों पर समय-समय पर परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा जारी आदेशों द्वारा शासित होगी। शासी परिषद, आवश्यकतानुसार विभिन्न प्राधिकारियों को अपनी शक्तियां प्रत्यायोजित करेगी।

अध्याय- VI
समितियां

32. वित्त समिति

32.1 एक वित्त समिति होगी जिसमें निम्नलिखित अधिकारी शामिल होंगे:-

- (a) अध्यक्ष, प.ऊ.शि.सं. समिति के अध्यक्ष होंगे
- (b) सचिव, प.ऊ.शि.सं.
- (c) संयुक्त सचिव, प.ऊ.वि. जो सोसायटी से संबंधित कार्य करेंगे
- (d) संयुक्त सचिव (वित्त), प.ऊ.वि.
- (e) कोषाध्यक्ष, प.ऊ.शि.सं.
- (f) मु.प्र.अ., प.ऊ.शि.सं.
- (g) वरिष्ठ लेखा अधिकारी/लेखा अधिकारी समिति के सचिव होंगे

32.2 वित्त समिति के कार्य निम्नलिखित होंगे:-

- (i) सभी प.ऊ.के.विद्यालयों और प.ऊ.शि.सं. के खातों और वार्षिक बजट अनुमानों की जाँच और संवीक्षा करना तथा परिषद को अपनी सिफारिशें देना।
 - (ii) प्रमुख कार्यों और खरीद के लिए नए व्यय के प्रस्तावों पर विचार करना और परिषद को सिफारिशें देना।
 - (iii) समय-समय पर प.ऊ.शि.सं. के वित्त की समीक्षा करना और जहाँ आवश्यक हो, समवर्ती लेखा परीक्षा करवाना।
 - (iv) सोसायटी के वित्त से संबंधित कोई अन्य मुद्दे
 - (v) सोसायटी के वार्षिक वित्तीय विवरण की जाँच करना
 - (vi) शिक्षण एवं अन्य शुल्क तथा उपयोगकर्ता शुल्क का निर्धारण एवं समीक्षा करना
 - (vii) समिति अपने कार्यवृत्त परिषद को विचार एवं अनुसमर्थन हेतु प्रस्तुत करेगी।
 - (viii) परामर्श अनुबंधों, कार्यों और खरीद अनुबंधों को अंतिम रूप देने से संबंधित मामलों पर शासी परिषद की वित्तीय शक्तियों का प्रयोग।
 - (ix) सभी आय और व्यय के लिए प.ऊ.वि. के माध्यम से संसद में प्रस्तुत की जा रही सभी वित्तीय रिपोर्टों और प.ऊ.शि.सं. की वार्षिक लेखा रिपोर्ट का विश्लेषण।
 - (x) कर्मचारी भविष्य निधि खाते के अंतर्गत निवेश का प्रबंधन, जो समय-समय पर वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में निवेशित होता है।
 - (xi) राजस्व, भविष्य निधि (निवेश के एसजीएल-डीएमएटी खातों सहित), जीएसएलआईएस, एफआरएस, प.ऊ.वि.वि.नि., सामान्य छात्र निधि आदि शीर्षों के अंतर्गत सभी प्राप्तियों और व्यय के खातों पर वार्षिक रिपोर्ट की निगरानी और तैयारी, सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत लेखापरीक्षित विवरणों के साथ और शासी परिषद को उसकी वार्षिक आम बैठक में प्रस्तुत करना और आगे डीआई के माध्यम से संसद के दोनों सदनों को प्रस्तुत करना।
- 32.3 समिति आवश्यकतानुसार या परिषद/अध्यक्ष, प.ऊ.शि.सं. द्वारा किसी विशिष्ट कार्य के लिए चाहे जाने पर बैठक करेगी।

33. बिल्डिंग एवं वर्क्स कमिटी

परिषद द्वारा गठित सोसायटी की एक बिल्डिंग एवं वर्क्स कमिटी होगी। समिति में सोसायटी के सचिव की अध्यक्षता में 5-7 सदस्य हो सकते हैं, जिन्हें परिषद द्वारा नामित/गठित किया जा सकता है।

स्थानीय परमाणु ऊर्जा विभाग इकाइयों के प्रशासनिक एवं वित्त अनुभागों/प्रभागों के प्रतिनिधि और डीसीएसईएम आदि के तकनीकी प्रतिनिधि समिति में शामिल किए जाएंगे। समिति परिषद के निर्देशन में और परमाणु ऊर्जा विभाग/सीपीडब्ल्यूडी निर्माण प्रक्रिया के ढांचे के भीतर कार्य करेगी। समिति प्रमुख कार्यों के विस्तृत कार्यक्रम पर प.ऊ.शि.सं. को सलाह देगी और समय-समय पर भवनों एवं अवसंरचना के लिए प्रमुख सिविल कार्यों के संबंध में विशेषज्ञ तकनीकी सलाह प्रदान करेगी।

34. शैक्षणिक समिति.

प.ऊ.शि.सं. की शैक्षणिक इकाई के अध्यक्ष, सचिव, प्रमुख और विशेषज्ञ शिक्षाविद/ शिक्षाविद जैसे अन्य सदस्य, जिनका निर्णय परिषद द्वारा लिया जाएगा, सोसायटी की शैक्षणिक समिति का गठन करेंगे। समिति के कार्य और कार्य परिषद द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, जो निम्नलिखित भी हो सकते हैं:-

- (i) यह सोसाइटी की शैक्षणिक और सह-पाठ्यचर्या गतिविधियों से संबंधित सभी मामलों पर परिषद को सलाह/सिफारिशें देगा।
- (ii) समय-समय पर इन कार्यक्रमों की समीक्षा करेगा और कमियों को दूर करने के उपाय सुझाएगा।
- (iii) विद्यालयों और कनिष्ठ महाविद्यालयों को प.ऊ.शि.सं. के उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करेगा।
- (iv) यह इन सिफारिशों के संभावित कार्यान्वयन के लिए अपनी प्रक्रियाएँ तैयार करेगा।
- (v) यह सोसाइटी के शैक्षणिक कर्मचारियों की पदोन्नति और नियुक्ति के लिए परिषद को सिफारिशें करने के लिए उत्तरदायी होगा।

अध्याय - VII

सेवा शर्तें

35. A. अनुशासनात्मक नियम

- 35.1 सोसाइटी के किसी कर्मचारी को नियुक्त करने वाला प्राधिकारी, निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद, उसके कदाचार या नियुक्ति की शर्तों के उल्लंघन के लिए उसे निलंबित, कार्यमुक्त, बर्खास्त या अन्यथा दंडित कर सकता है।
- 35.2 सोसाइटी के किसी कर्मचारी को नियुक्त करने वाला प्राधिकारी, निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद, उसके कदाचार या नियुक्ति की शर्तों के उल्लंघन के लिए उसे निलंबित, कार्यमुक्त, बर्खास्त या अन्यथा दंडित कर सकता है।

B. सेवा नियम

- (i) सोसाइटी अपने कर्मचारियों की छुट्टी, यात्रा भत्ता, एलटीसी, बच्चों की शिक्षा भत्ता, छात्रावास सब्सिडी, चिकित्सा व्यय, ब्याज रहित और ब्याज रहित अग्रिम और अन्य सेवा शर्तों से संबंधित मामलों में समय-समय पर संशोधित केंद्र सरकार के नियमों का पालन करेगी, जिसमें सोसाइटी द्वारा अपनाए गए संशोधन भी शामिल होंगे।
- (ii) सोसाइटी के पास समय-समय पर संशोधित केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 की तर्ज पर एक पेंशन योजना होगी, जो 7 जुलाई, 1987 को या (उसके बाद) सेवा में शामिल होने वाले सोसायटी के सभी नियमित कर्मचारियों के साथ-साथ उस तिथि तक सोसायटी में पहले से सेवारत ऐसे नियमित कर्मचारियों को भी कवर करेगी, जिन्होंने पहले से लागू सी.पी. फंड योजना में बने रहने के लिए लिखित रूप में विशेष रूप से विकल्प नहीं चुना है।

- (iii) सोसाइटी के पास भविष्य निधि के अंतर्गत सामान्य भविष्य निधि (भारत) नियम, 1969 और अंशदायी भविष्य निधि (भारत) नियम, 1962 के प्रावधानों की तर्ज पर अपना स्वयं का सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि भी होगा। अधिनियम, 1925 के अंतर्गत 01/01/2004 को या उसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को एनपीएस के अंतर्गत कवर किया जाएगा।
- (iv) सोसायटी के पास एफआर-56(जे) के प्रावधानों के अनुसार अपने कर्मचारियों की समीक्षा की उचित प्रणाली होगी।

36. छुट्टी के नियम

- 36.1 कर्मचारियों को अवकाश (आकस्मिक अवकाश, अर्जित अवकाश, चिकित्सा अवकाश आदि सहित) सीसीएस (अवकाश) नियम, 1972 और समय-समय पर सोसायटी द्वारा अपनाए गए नियमों के अनुसार प्रदान किया जाएगा। अध्ययन अवकाश, विश्राम अवकाश, असाधारण अवकाश आदि के नियम प.ऊ.वि. के दिशानिर्देशों के अनुसार होंगे।
- 36.2 छुट्टी का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता। जहाँ पद की अनिवार्यताएँ ऐसा अपेक्षित हों, वहाँ किसी भी प्रकार की छुट्टी देने से इनकार करने या उसे रद्द करने का विवेकाधिकार छुट्टी देने के लिए अधिकृत प्राधिकारी के पास सुरक्षित है।

37. कर्मचारियों की पदोन्नति

सोसाइटी अपने कर्मचारियों के लिए वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (APAR) जारी करेगी। सोसाइटी के शैक्षणिक कर्मचारियों के संबंध में वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (APAR), प.ऊ.शि.सं. की शैक्षणिक समिति की सिफारिशों के अनुरूप और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी। प्रशासनिक, लेखा और सहायक कार्मिकों के संबंध में, सोसायटी को प.ऊ.वि. में अपनाए गए दिशानिर्देशों के अनुसार प्रणाली का पालन करना चाहिए।

38. एससी/एसटी/ओबीसी (एनसीएल)/ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी के लिए पदों का आरक्षण:

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल)/ईडब्ल्यूएस और शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए पदों के आरक्षण के संबंध में समय-समय पर जारी भारत सरकार के नियम/आदेश सोसायटी में किए जाने वाले पदों पर नियुक्तियों के संबंध में लागू होंगे।

39. संविदात्मक सेवाएँ

जहाँ तक संभव हो, प.ऊ.शि.सं. के अध्यक्ष, सोसायटी के लिए बुनियादी ढाँचा, सहायता, रखरखाव और अन्य संबंधित सेवाओं का आउटसोर्सिंग और ठेका देंगे। ठेकेदार द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को सोसायटी का कर्मचारी नहीं माना जाएगा।

अध्याय- VIII

विविध

40. प.ऊ.शि.सं. की ओर से अनुबंधों का निष्पादन

सभी समझौते, अनुबंध आदि, जो सोसायटी के व्यवसाय के उचित संचालन के लिए आवश्यक हो सकते हैं, परिषद की ओर से सोसायटी के अध्यक्ष या सचिव द्वारा निष्पादित किए जाएंगे, जिन्हें इस उद्देश्य के लिए परिषद द्वारा अधिकृत किया गया हो।

41. शाश्वत उत्तराधिकार

सोसायटी का उत्तराधिकार स्थायी होगा और वह अपने मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से अपने नाम पर मुकदमा दायर करने या मुकदमा दायर करने में सक्षम होगी।

शंता कुमार लाहिड़ी

एस के लाहिड़ी

S K LAHIRI

सचिव/SECRETARY

परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था

Atomic Energy Education Society

अणुशक्तिनगर, मुंबई-400094.

Anushaktinagar, Mumbai-400094

42. **उपनियमों में संशोधन**
परिषद को इस प्रयोजन हेतु बुलाई गई बैठक में उपस्थित अपने तीन-चौथाई सदस्यों द्वारा इन नियमों के प्रावधानों में परिवर्तन, परिवर्धन या संशोधन करने का अधिकार होगा। उप-नियमों में संशोधन, विभाग की सहमति से, उस संबंधित कानून में उल्लिखित उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद किया जा सकता है जिसके द्वारा सोसायटी पंजीकृत है।
43. **अवशिष्ट शक्ति**
उप-नियमों में निहित न होने वाली शक्तियों का प्रयोग परिषद द्वारा प.ऊ.वि. के परामर्श से किया जा सकता है।
44. **उपनियमों की व्याख्या**
यदि उपनियमों या शासन नियमों के किसी प्रावधान की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न उठता है, तो परिषद का निर्णय अंतिम और सभी पर बाध्यकारी होगा। हालाँकि, कर्मचारियों की सेवा शर्तों की व्याख्या से संबंधित सभी मामले परमाणु ऊर्जा विभाग को भेजे जाएंगे।
45. **ढील देने की शक्ति**
परिषद व्यापक जनहित में उपनियमों के किसी या सभी प्रावधानों को शिथिल करने के लिए सक्षम है।
46. **वार्षिक रिपोर्ट**
परिषद सोसायटी के कामकाज पर एक वार्षिक रिपोर्ट प.ऊ.वि. को प्रस्तुत करेगी जिसमें संबंधित वित्तीय वर्ष से संबंधित लेखाओं का लेखापरीक्षित विवरण शामिल होगा।
47. **सूचना का अधिकार अधिनियम**
सोसायटी उपयुक्त जन सूचना अधिकारियों, अपीलीय प्राधिकारियों और पारदर्शिता अधिकारियों की नियुक्ति करके सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के कार्यान्वयन के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। सोसायटी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 की निगरानी भी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि सक्रिय प्रकटीकरण उचित रूप से और समय-समय पर अद्यतन किए जाएँ।
48. **शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना**
कर्मचारियों और जनता की शिकायतों के निवारण के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए। सोसायटी समयबद्ध तरीके से शिकायत याचिकाओं का निपटारा करने के लिए एक लोक शिकायत अधिकारी नियुक्त करेगी।
49. **यौन उत्पीड़न अधिनियम का कार्यान्वयन**
सोसायटी यह सुनिश्चित करेगी कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम को सोसायटी में सही भावना और स्वरूप में लागू किया जाए।
50. **कायदा कानून**
सोसायटी उपरोक्त उपनियमों का पालन करेगी और इसके अतिरिक्त, इसकी गतिविधियों के लिए अतिरिक्त नियम और विनियम बनाए जा सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपनियमों में उल्लिखित प्रावधानों का उल्लंघन न हो, अर्थात्, वे उपरोक्त उपनियमों या सरकारी/विभागीय निर्देशों के विपरीत न हों। नियमों और विनियमों और इन उपनियमों के बीच किसी भी प्रकार की असंगति होने की स्थिति में, उपनियमों के प्रावधान ही मान्य होंगे।

शांता कुमार लाहिरी

एस के लाहिरी

S K LAHIRI

सचिव/ SECRETARY

परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था

Atomic Energy Education Society

अणुशक्तिनगर, मुंबई-400094.

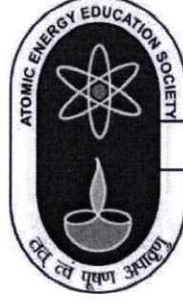
Anushaktinagar, Mumbai-400094

51. **इसमें शामिल नहीं किए गए मामले**
यदि कोई ऐसा प्रश्न उठता है जो इन उप-नियमों के अंतर्गत नहीं आता है, तो परिषद का निर्णय अंतिम होगा और आवश्यकतानुसार प.ऊ.वि. का अनुमोदन लिया जाएगा।
52. **बचत खंड**
सरकार या विभाग द्वारा जारी कोई भी निर्देश सोसायटी पर बाध्यकारी होगा तथा सोसायटी के उपनियमों, विधियों या नियमों के किसी भी प्रावधान पर उसका प्रभाव सर्वोपरि होगा।

शांता कुमार लाहिरी
एस के लाहिरी
S K LAHIRI
सचिव/ SECRETARY
परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था
Atomic Energy Education Society
अणुशक्तिनगर, मुंबई-400094.
Anushaktinagar, Mumbai-400094

परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था (पंजीकृत)
ATOMIC ENERGY EDUCATION SOCIETY (Regd.)

अणुशक्तिनगर, मुंबई - 400 094
Anushaktinagar, Mumbai - 400 094



संस्था का ज्ञापन पत्र
तथा
नियमावली
(18-06-2025 तक अद्यतन बनाया गया)

MEMORANDUM OF ASSOCIATION
&
BYE-LAWS
(Updated as on 18-06-2025)

- मुंबई पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1950 के अंतर्गत कल्याणकारी संस्था के रूप में दिनांक 31/12/1969 को पंजीकृत-पंजीकरण संख्या एफ1854 (मुंबई)।
- Registration No. F 1854 (Bombay) dated 31/12/1969 as Charitable Institution under the Bombay Public Trust Act, 1950.
- रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी एक्ट 1860 के अंतर्गत "सोसाइटी" के रूप में दिनांक 21/02/1969 को पंजीकृत-पंजीकरण संख्या मुंबई 23/69।
- Registration No. Bombay 23/69 dated 21/02/1969 as a "Society" under the Registration of Societies Act, 1860.

Shankar K. Lahiri

एस के लाहिरी
S K LAHIRI
सचिव/ SECRETARY
परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था
Atomic Energy Education Society
अणुशक्तिनगर, मुंबई-400094.
Anushaktinagar, Mumbai-400094

ATOMIC ENERGY EDUCATION SOCIETY

INTRODUCTION

The Atomic Energy Education Society was setup to provide quality education to the children of the employees of the Department of Atomic Energy and its constituent units. From a modest beginning in the year 1969 with one school in Anushaktinagar, Mumbai, AEES has grown steadily, and presently administers 30 schools and junior colleges at 15 locations all over the country. It has grown into a dynamic organization managed by dedicated staff members, who are entrusted with the responsibility of nurturing students. AEES also extends its services to the broader community through Right to Education (RTE) and Societal Enrichment and Education Program (SEEP), thereby supporting students from underprivileged backgrounds.

तत् त्वं पूषण अपावृणु' - 'Let education illuminate our path to truth and virtue' is the guiding principle of the Atomic Energy Education Society, inspiring our institution's mission and vision. The watchword of the AEES is excellence - a quality that has become all pervasive and central to each of its activities and strategies, both academic and administrative. Vast changes were brought about in the system of education not only to make it more responsive to the needs of the children of today but also realize the institution's dream of providing holistic education.

Shankar K. Lahiri

एस के लाहिरी

S K LAHIRI

सचिव/ SECRETARY

परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था

Atomic Energy Education Society

अणुशक्तिनगर, मुंबई-400094.

Anushaktinagar Mumbai-400094

ATOMIC ENERGY EDUCATION SOCIETY BYE-LAWS

CONTENTS

Sl. No.	Contents	Page No.
	Chapter – I	
	General	
1.	Short Title and commencement	1
2.	Name and Address of the Society	1
3.	Definitions and Interpretation	1
4.	Aims and Objectives	2
5.	Vesting of the Property of the Society (AEES)	2
	Chapter – II	
	Constitution of Governing Council, its meeting and procedure	
6.	Governing Council	3
7.	Meeting of the Governing Council	3
8.	Procedure of Meeting of the Governing Council	4
9.	Chairman of the Meeting	4
10.	Quorum and Procedure	4
11.	Adjourned Meeting	5
12.	Minutes of the Meeting	5
13.	Business by Circulation	5
14.	Vacancy	5
15.	Committee of the Council	6
16.	Authentication of Orders and decision of the Council	6
17.	Disqualification	6
	Chapter - III	
	Powers of the Council and other Officials	
18.	General Powers of the Council	6
19.	Age of superannuation	8
20.	Appointing Authorities	8
21.	Disciplinary Authority	8
22.	Specific Powers of the Authorities	9
	Chapter -IV	
	Staff, Its Categories & Appointments	
23.	Classification of the Members of the Staff of the Society (AEES)	12
24.	Appointments & Promotions	12
25.	Appointment of the Chairman and Secretary of Society	13
26.	Officiating Chairman/Acting Chairman, AEES	13
27.	Appointment of Chief Administrative Officer, AEES	13

Shakti Khandekar

एस के लाहिरी
S K LAHIRI
सचिव/SECRETARY
परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था
Atomic Energy Education Society
अणुशक्तिनगर, मुंबई-400094.
Anushaktinagar, Mumbai-400094

	Chapter – V	
	Finance & Accounts	
28.	Financial Year	13
29.	Budget & Funds of the Society (AEES)	14
30.	Audit	15
31.	Exercise of Financial Powers	15
	Chapter - VI	
	Committees	
32.	Finance Committee	16
33.	Building and Works Committee (BWC)	16
34.	Academic Committee	17
	VII	
	Service Conditions	
35.	Disciplinary Rules	17
36.	Leave Rules	18
37.	Promotion of Staff	18
38.	Reservations of posts for Scheduled Castes / Scheduled Tribes/ OBC (NCL)/EWS and PWD	18
39.	Contractual Services	18
	Chapter -VIII	
	Miscellaneous	
40.	Execution of Contracts on behalf of AEES	18
41.	Perpetual Succession	18
42.	Amendments of the Bye-Laws	19
43.	Residuary Power	19
44.	Interpretation of Bye-Laws	19
45.	Power to Relax	19
46.	Annual Report	19
47.	Right to Information Act, 2005	19
48.	Establishment of Grievances Redressal Mechanism	19
49.	Implementation of Sexual Harassment Act	19
50.	Rules and Regulations	19
51.	Matters not Covered Herein	20
52.	Saving Clause	20
	Annexures	
	Certificate of Registration under the Bombay Public Trust Act, 1950	
	Certificate of Registration under the Registration of Societies Act, 1860	

BYE LAWS OF AEES
CHAPTER - I
GENERAL

1. Short Title and Commencement

- 1.1 These Bye Laws and statues shall be called "Bye-Laws of the Atomic Energy Education Society (AEES) (hereinafter referred to as "Society". These shall come into effect from 18-06-2025.
- 1.2 These Bye-laws may be read in conjunction with the Rules and Regulations of the Atomic Energy Education Society.

2. Name and Address of the Society

The name of the aided institute shall be "Atomic Energy Education Society" hereinafter called "Society". The registered office of the Atomic Energy Education Society shall be at Central Office, Western Sector, AECS-6 Building, Anushaktinagar, Mumbai – 400 094; Website: www.aees.gov.in.

3. Definitions and Interpretation

In these Bye-laws, the following words and abbreviations shall have the meanings given against them, unless the context signifies otherwise:

- (a) "Act" means the Atomic Energy Act 1962
- (b) "Administrative Department" means Department of Atomic Energy, Government of India
- (c) "Finance Committee" means the Finance Committee of the Society as constituted by the Governing Council.
- (d) "Council/Governing Council/GC" means the Governing Council of the Atomic Energy Education Society.
- (e) "Building and Works Committee" means Building and Works Committee of the Society as constituted by the Governing Council.
- (f) "Bye-Laws" means Bye-Laws of the Society
- (g) "Chairman" means the Chairman of the Governing Council of AEES.
- (h) "Chairman, AEES" means Chairman of the Atomic Energy Education Society (AEES) as appointed by Secretary, DAE.
- (i) "Secretary" means the Secretary of the Atomic Energy Education Society who is concurrently the Member Secretary of Governing Council of AEES, nominated by Chairman of the Atomic Energy Education Society with the approval of Secretary, DAE.
- (j) Centre means a station in which one or more number of AEES institutions are located in geographical proximity.
- (k) "Central Government / Government" means the Government of India represented by the Department of Atomic Energy.
- (l) "Competent Authority" means the authority indicated for various purposes in these Rules or any other Rules applicable or in force in the Society or any such orders of the Government/DAE issued for its Autonomous Bodies/Institutions;
- (m) "Commission" means Atomic Energy Commission (AEC)
- (n) "Co-Chairman" means the Co-Chairman of the Governing Council of AEES, who is Chairman, AEES.
- (o) "Department" means Department of Atomic Energy, Government of India hereinafter also referred as "DAE"

Shankar K. Lahiri

एस के लाहिरी
S K LAHIRI

सचिव/ SECRETARY

परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था

Atomic Energy Education Society

अणुशक्तिनगर, मुंबई-400094.

Anushaktinagar, Mumbai-400094

- (p) Finance Adviser means Treasurer, AEES appointed by DAE from amongst IFAs/JC(FA)s of any unit of the DAE.
- (q) "Society" means the Atomic Energy Education Society (AEES) registered under the Registration of Society's Act, 1860 and registered as a charitable institution under Bombay Public Trust Act, 1950.
- (r) "CAO" means Chief Administrative Officer of the Society
- (s) "State Government" means "Government of Maharashtra", the state where AEES's Registered Office is situated.
- (t) "Trustee" means Chairman, Secretary and Treasurer of the Society since it is a charitable institution registered under the Bombay Public Trust Act, 1950.
- (u) "LMC" means Local Management Committee

4. Aims and Objectives

The AIMS AND OBJECTIVES of the AEES shall be:-

- (i) To establish and run educational Institutions such as schools, junior colleges etc., to educate the children of the employees of the constituent and aided units of DAE, from Balvatika to standard XII and to impart vocational education through the media of instruction adopted by the society from time to time.
- (ii) To academically and financially assist special schools through charitable organisations for the differently abled children of the employees of the constituent and aided units of DAE.
- (iii) (a) to develop it's schools and junior colleges as "Centres of Excellence" in the context of national goals of education
- (b) to initiate and provide experimentation in education in collaboration with other expert bodies like KVS, CBSE, NCERT etc.
- (c) to promote national integration
- (d) to promote or engage in any other activities in the attainment of the above objectives.

5. Vesting of the Property of the Society (AEES)

- (a) All buildings, lands, machinery, equipment, plans and instruments (laboratory workshop or otherwise), books and journals, furniture, furnishings and fixtures of the society belong to the Department of Atomic Energy.
- (b) All properties, funds or assets as are provided by the Central Government or any other Government bodies, or gifted or bequeathed to the Society, shall, subject to the Rules and Bye-laws, be vested in the Governing Council of the Society.
- (c) If the Society is wound up, the DAE will decide the further course of action.

Shankar K. Lahiri

एस के लाहिरी
S K LAHIRI
सचिव/SECRETARY
परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था
Atomic Energy Education Society
अणुशक्तिनगर, मुंबई-400094.
Anushaktinagar, Mumbai-400094

CHAPTER – II

CONSTITUTION OF GOVERNING COUNCIL, ITS MEETING AND PROCEDURE

6. Governing Council

Subject to the Rules and Bye-Laws, the administration, management and direction of the affairs of the Society shall vest in GOVERNING COUNCIL, hereinafter called 'THE COUNCIL'. The Department of Atomic Energy shall constitute the Governing Council.

- 6.1 The Composition of the Governing Council shall be as under:
- (i) Secretary, DAE shall be the Chairman of the Council.
 - (ii) Chairman, AEES shall be the Co-Chairman of the Council.
 - (iii) Representative(s) from the Constituent Units/PSUs/AIs of DAE
 - (iv) Expert from the relevant field of the Institute/ Academicians of repute to be nominated by the Department of Atomic Energy.
 - (v) Joint Secretary of the Department dealing with the Society
 - (vi) Joint Secretary (Finance) of the Department
 - (vii) Treasurer of the Society.
 - (viii) Secretary of the Society shall be the Member Secretary

At no time more than fifteen persons shall be the core members of the society.

Every person shall, on being enrolled as a member, pay an admission fee of Re.1/-.

- 6.2 Secretary, DAE shall be ex-officio Chairman of the Council.

- 6.3 The Governing Council shall be a permanent body consisting of ex-officio members and nominated members. The ex-officio members are permanent members of the Governing Council whereas the tenure of the nominated members is generally of three years which can be extended for one more term of three years. They are eligible for re-nomination for another term i.e., one member can be allowed maximum of two terms (except trustees and ex-officio members). The tenure of the Members shall be co-terminus with the service in their respective organisation or as specified by the Department.

- 6.4 In addition to core members as at para 6.1 above, Chairmen, LMCs of all centres may be invited to attend meeting as invitees.

- 6.5 Whenever any vacancy arises in nominated membership of the Society, the Governing Council shall recommend to the Department of Atomic Energy, the name of a suitable eligible person to fill the said vacancy. He/she shall become the core member when the approval is accorded by the Department.

7. Meeting of the Governing Council

- 7.1 The meetings of Council shall be convened not less than two times every year by the Secretary, AEES at a date and time as may be fixed by him/her in consultation with the Chairman, GC. For the purpose of this rule, each year shall be deemed to commence on the first day of January and terminate on the 31st day of December of the same year i.e., calendar year. Meetings of the Council shall be held at the Society, Central Office unless the Chairman otherwise directs.

- 7.2 A special meeting of the Council may be called at any other time by the Chairman, either on his own initiative or at the request of not less than four members of the Council.

Shanta Kaur Lahiri

एस के लाहिरी

S K LAHIRI

सचिव/ SECRETARY

परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था

Atomic Energy Education Society

अणुशक्तिनगर, मुंबई-400094.

Anushaktinagar, Mumbai-400094

- 7.3 The Annual General Meeting of the Society shall ordinarily be held within six months of the close of the Academic year.
- 7.4 If the Chairman of the Governing Council is absent, Co-Chairman of the Governing Council shall be the Chairman of the meeting.
- 7.5 The business to be transacted at an Annual General Meeting shall be:
- (i) To approve the minutes of the previous meeting;
 - (ii) To receive, consider and pass the Governing Council's report on the working of the Society and audited statement of accounts for the previous year;
 - (iii) To review whether the aims and objectives of the Society have been achieved as intended and planning for the ensuing academic year.
 - (iv) To consider any other matter that is mentioned in the agenda of the meeting.

8. Procedure of Meeting of the Governing Council

- 8.1 For any meeting of the Council, at least fifteen days' notice shall be given to the members. Agenda shall be circulated along with the notice for the meeting. Non receipt of notice of any meeting of the Council by any member shall not, however, invalidate the proceedings of the meeting.
- 8.2 A notice indicating the date, time and place of every meeting, shall be sent by the Member Secretary of the Council in writing to the Members. However, the Chairman may call a special meeting of the Council at a short notice to consider urgent special issues.
- 8.3 The notices may be delivered either by hand or sent by registered post/speed post at the address of each member as recorded in the records of the office of the Council or by e-mail and if so sent shall be deemed to be day delivered at the time at which notice would be delivered in the ordinary course of post.
- 8.4 Notices of motions for inclusion of any item on the agenda must reach Member Secretary of the Council at least one week before the meeting. The Chairman may permit inclusion of any item for which due notice was not served.

9. Chairman of the Meeting

The Chairman of the Council shall preside over all meetings of the Council. In the absence of the Chairman, Co-Chairman shall preside over the meeting and he/she shall exercise all the rights and privileges of the Chairman for that meeting.

10. Quorum and Procedure

- 10.1 Number of members including Chairman to form the quorum at any meeting of Council shall be 50% of the total strength of members in the Council. Vacant positions in the Council shall be excluded while determining the quorum.
- 10.2 All matters considered at the meeting of the Council shall be decided by consensus among all Members. In case of difference of opinion among the members, the opinion of the majority shall prevail.

Shankar K. Lahiri

एस के लाहिरी
S K LAHIRI

सचिव/ SECRETARY

परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था

Atomic Energy Education Society

अणुशक्तिनगर, मुंबई-400094.

Anushaktinagar, Mumbai-400094

- 10.3 Each member of the Council, including the Chairman, shall have one vote, and if there be a tie on any question to be determined by the Council, the Chairman shall, in addition, have power to exercise a casting vote.
- 10.4 The decision of the Chairman shall be final with regard to all questions regarding the procedure for the conduct of the meeting.
- 10.5 If a Member of the Council (except official/ representatives of DAE, State Government and nominees of the trustees, if any) fails to attend three consecutive meetings without leave of absence from the council, he/she shall cease to be a Member of the Council.
- 10.6 If Joint Secretary of the Department dealing with the Society or Joint Secretary (Finance) is unable to attend the meeting, they may be represented by their representative(s)/ nominee(s) who should not be below the rank of Director/Dy. Secretary. In this case, the representative/ nominee shall have full authorization and shall be treated as deemed Members for the particular Council meeting and shall be part of quorum.

11. **Adjourned Meeting**

If there is no quorum at the expiry of fifteen minutes after the time fixed for a meeting, the meeting shall be adjourned and may be held on the same day after a gap of 30 minutes as the Chairman may determine. No quorum shall be necessary for a meeting adjourned for want of a quorum.

12. **Minutes of the Meeting**

- 12.1 The Secretary, AEES who will act as the Member Secretary shall keep the minutes of the meetings of the Council and send a copy of the minutes of every such meeting to the members as early as possible.
- 12.2 The minutes along with the amendments, if any shall be placed for confirmation at the next meeting of the Council. After the Minutes are confirmed and signed by the Chairman, they shall be recorded in the minutes book, which shall be kept open for inspection of the members of the Council at all times.

13. **Business by Circulation**

Any business of the Society to be performed by the Council, except such as may be placed before the meetings of the Council, may be carried out by circulation among all its members and any resolution, so circulated and approved by a majority of the members who have signified their approval, or disapproval of such resolution, shall be as effective and binding as if such resolution had been passed at a meeting of the Council. The resolution as approved by the Governing Council should be reported at the next meeting of the Governing Council as an information item.

14. **Vacancy**

When a vacancy occurs in the office of a nominated member of the Council, through death, resignation or any other reason, such vacancy shall be filled by the authority which appointed such a member. The member so nominated to fill such a casual vacancy, shall hold office for the remainder of the term of the member in whose place he/she has been nominated.

Shanta K. Lahiri

एस के लाहिरी
S K LAHIRI

सचिव/ SECRETARY

परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था

Atomic Energy Education Society

अणुशक्तिनगर, मुंबई-400094.

Anushaktinagar, Mumbai-400094

No action or resolution of the Council shall be invalid by reason of any vacancy in the membership of the Council or defect in the appointment of a person acting as a Member.

15. Committee of the Council

The Council may appoint committees from amongst its own members or the staff of Society and may assign to such committees such powers and duties as are in accordance with the bye laws and rules/sub-rules.

16. Authentication of Orders and decision of the Council

All the orders and decisions of the Council shall be authenticated by the signature of the Member Secretary or any other person authorized by the Council in its behalf.

17. Disqualification

A Member of the Council including the Chairman shall be disqualified to be a Member only on the ground of

- (a) Mental Infirmary
- (b) Criminal conviction by a Court of law
- (c) Insolvency
- (d) Resignation
- (e) Retirement
- (f) Death

CHAPTER – III

POWERS OF THE COUNCIL & OTHER OFFICIALS

18. A. General Powers of the Council

Subject to various orders issued by the Government of India/Department, administration and management of the Society shall be under the supervision of the Council. The Council shall have the power to:-

- (i) Exercise the Financial Powers as per the DAE (Exercise of Financial Power) Rules, 2004 applicable to the Aided Autonomous Institutions under DAE as amended from time to time.
- (ii) Make Rules/Sub-Rules specific to the mandate of the Society and decide the duties of various functionaries of the Society
- (iii) Frame and revise rules for the governance of the Society
- (iv) Approve the Annual Report and Annual Audited Statement of Accounts within six months of the end of each financial year.
- (v) The Society shall follow rules related to establishment, pay, pension, conduct and disciplinary proceedings etc. for the employees of the Society insofar as they are explicitly made applicable to the Grant-in-aid institutions by the DAE/Nodal Ministries. Conduct Rules to be observed by AEES teachers/ staff is framed in line with CCS (Conduct) Rules, 1964.
- (vi) Decide the intake of the number of students commensurate with the mandate of the Society.
- (vii) Consider the recommendations of such Advisory/Expert Committee and acceptance or otherwise of such recommendations.

Shankar Khar Sahni

एस के लाहिरी

S K LAHIRI

सचिव/ SECRETARY

परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था

Atomic Energy Education Society

अणुशक्तिनगर, मुंबई-400094.

Anushaktinagar, Mumbai-400094

- (viii) Promote the mandate of the Society and decide the date of commencement and duration of the academic year of the School/JC.
- (ix) Frame Recruitment Rules, Promotion Policy, pay structure and cadre structure below the level of the Secretary of the Society for both teaching and non-teaching employees which shall by and large not be higher than those applicable to similar categories of Central Government employees and in consonance with the provisions of GFR and such other rules.
- (x) Consider all cases of promotion and grant promotion to all employees, as per the promotion policy of the Society subject to following the relevant procedures/ norms.
- (xi) Execution of contracts and other instruments on behalf of the Society, conduct and defence of legal proceedings and the manner of signing pleadings. The Council may re-delegate these powers to such other officers as considered necessary.
- (xii) Appointment of members to the Finance / Standing Committee and any other committee
- (xiii) Appointment of Statutory Auditors and Retainers and fixing their remuneration.
- (xiv) Delegate its powers to the Chairman, Secretary, Treasurer of the Society, Members of Council, Local Management Committees and other Administrative Heads in the Society as detailed in the "Delegation of Administrative and Financial Power" of the Society issued by the competent authority from time to time.
- (xv) Compromise and settle or contest either in a Court of Law or by Arbitration any suit, debt, liability or claim by or against the Society
- (xvi) Administer the funds and properties of the Society placed at the disposal of the Society. No immovable property of the Society can be disposed off without prior approval of the DAE.
- (xvii) Management of investment under Employees Provident Fund account which is invested in various categories prescribed by Ministry of Finance from time to time.
- (xix) To incur any expenditure for the maintenance of the properties and premises belonging to or placed at the disposal of the society, for the day-to-day management and for the conduct of the various functions of the Society;
- (xx) To consider any proposal from LMCs which has not been listed in the Bye-Laws and which may require funds/incurrence of expenditure.
- (xxi) To erect, acquire lease or hire properties movable or immovable and buildings and to maintain them by necessary repairs, alterations, etc;
- (xxii) To authorise any of its members jointly or severally to carry out such of its duties and functions as it may decide;
- (xxiii) To present the annual statement of accounts and the annual report on the working the Society;
- (xxiv) To appoint any special committees for any specific purposes.
- (xxv) To fix meetings of the Governing Council.
- (xxvi) Generally, do such other things as are incidental or conducive to the achievement of the objects of the Society.

Shankar K. Lahiri

एस के लाहिरी
S K LAHIRI

सचिव/SECRETARY

परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था

Atomic Energy Education Society

अणुशक्तिनगर, मुंबई-400094.

Anushaktinagar, Mumbai-400094

B. Duties of Office-Bearers of Society

(i) Chairman, AEES

Chairman, AEES shall be the head of the Society.

It shall be the duty of the Chairman, AEES to preside over all the meetings (other than meeting of the Governing Council) and to recommends their deliberations by his/her advice. He/she shall carryout all other functions as indicated in the bye-laws and as directed by the Council.

(ii) Secretary, AEES

The Secretary shall

- (a) Convene the statutory meetings of Governing Council and other meetings when fixed;
- (b) Send notices of such meeting to the persons concerned, prepare and keep a correct record of the minutes of all meetings of the Governing Council;
- (c) Attend to such other business as indicated in Bye-Laws and as may be entrusted to him by the Chairman/Governing Council.
- (d) Carry on all correspondence of the Society.
- (e) Receive communication addressed to the Society and place important matters arising therefrom before the Governing Council.

(iii) Treasurer, AEES

The Treasurer shall be responsible for monitoring of all finance and accounts activities of the Society. He/she shall advise, through Chairman, AEES, to the Governing Council in these matters.

19. Age of superannuation

The age of superannuation of AEES employees is 60 years.

20. Appointing Authorities

The Governing Council shall be the appointing authority for appointment to the posts in Level 13 and above in Pay Matrix of 7th CPC.

- 20.1 The Chairman, AEES shall be the appointing authority for appointments to the posts in Level 10 to Level 12 in Pay Matrix of 7th CPC.

The Secretary, AEES shall be the appointing authority for appointments to the posts in the Level 6 to Level 9 in Pay Matrix of 7th CPC with the approval of Chairman, AEES.

- 20.2 The Chief Administrative Officer (CAO), AEES shall be the appointing authority to the posts in the level below Level 6 in Pay Matrix of 7th CPC with the approval of Chairman, AEES.

21. Disciplinary Authority

- 21.1 Council can initiate disciplinary action against its employees for which the Council is Appointing Authority. Secretary, DAE shall be the Appellate, Revision and Review Authority in all such cases.

- 21.2 The Chairman, AEES can initiate disciplinary action against all employees for which he is the Appointing Authority. The Council shall be the Appellate Authority. Secretary, DAE shall be the Revision and Review Authority in all such cases.

Shanta Khar Lake

एस के लाहिरी

S K LAHIRI

सचिव/SECRETARY

परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था

Atomic Energy Education Society

अणुशक्तिनगर, मुंबई-400094.

Anushaktinagar, Mumbai-400094

- 21.3 The Secretary, AEES shall be disciplinary authority for those employees for which he is the appointing authority. The Chairman, AEES shall be the Appellate Authority and the Council shall be the Revision and Review Authority in all such cases.
- 21.4 The Chief Administrative Officer (CAO), AEES shall be disciplinary authority for all posts for which he/she is the appointing authority. The Secretary of the Society shall be the Appellate Authority and Chairman, AEES shall be the Revision and Review Authority in all such cases.

22 Specific Powers of the Authorities

22.1 Chairman, AEES

The Chairman, AEES is the Head of the Society and can exercise the powers of the Head of the Department under FR&SRs, General Financial Rules, TA Rules, LTC Rules, Provident Fund (both Contributory and General) Rules, Medical Attendance Rules, NPS Rules, AEES (Employees) Provident Fund Rules.

- (i) The Chairman, AEES shall have the power to send Employees/Students of the Society for exchange program or a course of instruction inside India or outside India subject to the terms and conditions as may be laid down by the Council from time to time.
- (ii) In emergent circumstances and in the interest of the Society, the Chairman, AEES may exercise the power of the Council and will inform of the action taken by him/her for its approval.
- (iii) The Chairman, AEES may recommend Treasurer who shall be IFA/JC(FA) of any one of the DAE units located in Mumbai. Nomination of Treasurer, AEES is done by DAE on the basis of recommendation from Chairman, AEES.
- (iv) The Chairman, AEES may recommend to the Secretary, Department of Atomic Energy to appoint few Members of the Governing Council from amongst academicians of standing.
- (v) The Chairman, AEES is empowered to create any committee, he deems fit to achieve the objectives of the Society.
- (vi) The Chairman, AEES shall constitute Local Management Committees (LMCs) for the Schools and Junior Colleges for each Centre and assign the Committee appropriate responsibilities and powers for day-to-day functioning of the Schools and Junior Colleges of that centre.
- (vii) The Chairman, AEES may constitute an Academic Unit and Regional Academic Cells (wherever necessary) to recommend and advise the Society on matters relating to the improvement of academic programmes and other developmental activities, and appoint members of the teaching and supporting staff to the Academic Unit and Regional Academic Cells as required. Council/Chairman, AEES may delegate his/her administrative and financial powers appropriately to the Head, Academic Unit or Regional Academic Cells. The Academic Unit and Regional Academic Cells shall report to Secretary, Atomic Energy Education Society and Chairmen, LMC respectively.
- (viii) The Chairman, AEES may also constitute and assign suitable responsibilities to School Advisory Committees or such other committee for any institution under the Society for establishing better links with parents, wherever necessary.

Shanta Khar Lohani

एस के लाहिरी

S K LAHIRI

सचिव/ SECRETARY

परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था

Atomic Energy Education Society

अणुशक्तिनगर, मुंबई-400094.

Anushaktinagar, Mumbai-400094

- (ix) The Chairman, AEES may grant scholarship and stipends to the students in accordance with the schemes approved by the Council
- (x) The Chairman, AEES with the concurrence of IFA shall have the power to engage teachers/Project Staff/Project Assistants/ Technicians and other manpower including consultants as and when required on need basis subject to the payment of minimum wages and such engagement shall not be for more than one academic session/one year or till the project completion period whichever is earlier. The norms of the Government/DAE (if any) shall be followed.
- (xi) The Chairman, AEES may during his/her absence from headquarters (not exceeding a period of 30 days) authorise the Secretary, AEES to execute the current duties of the post of Chairman. It shall be reported to Chairman, Governing Council immediately and also to Council in the next meeting.
- (xii) During the absence of the Secretary, AEES, the Chairman, AEES may take over himself/herself or assign the responsibilities to any other employee of the society any functions of the Secretary, AEES as he/she deemed fit with the approval of Secretary, DAE.
- (xiii) Full powers to authorise air travel for non-entitled officers provided the expenditure is kept within the allocation under the head "Travelling Expenses". This power should be exercised sparingly in exceptional cases only.
- (xiv) The Chairman, AEES will exercise powers as delegated by the Governing Council under Exercise of Financial Powers-Aided Autonomous Institutions under DAE.

22.2 **Secretary, AEES**

- (i) The Secretary, AEES shall assist Chairman to carry on the work of the Society in accordance with the Bye-Laws, Rules/Sub-Rules for the administration and the management of the Society. In case of an emergency, he/she may take such action as may be necessary with the approval of Chairman, AEES.
- (ii) The Secretary, AEES shall have powers to recruit and promote personnel in respect of those post of which he/she is the appointing authority.
- (iii) The Secretary, AEES shall have the power to depute employees of the Society for training or for a course of instructions inside India with the due approval of Chairman, AEES and subject to such terms and conditions as may be laid down by the Council.
- (iv) During the absence of CAO, AEES, the Secretary, AEES shall take over or assign the responsibility, to any other employee of the Society any functions of CAO as he/she deemed fit, with the approval of Chairman, AEES.
- (v) The Secretary, AEES may, with the approval of the Chairman, AEES delegate any of his/her powers, responsibilities and authorities vested in him/her to one or more members of academic or administrative staff of the Society with the approval of Secretary, DAE.
- (vi) The Secretary, AEES shall be responsible for implementing the rules relating to reservation in service to SC/ST/OBC/EWS and Persons with Disabilities.

Shanta K. Lahiri

- (vii) The Secretary, AEES will take decisions as to the implementation or otherwise of the Court judgments related to the staff with the approval of Council/Chairman.
- (viii) The Secretary, AEES can engage Legal Counsel(s)/ Advocates/ Lawyers to defend the cases and pay the fees with the due approval of Chairman, AEES and concurrence of IFA.
- (ix) Approval for installation of internet and e-mail facility.
- (x) Procurement of Computers and Peripherals for Central Office and all AEES Schools/Jr. Colleges by following the laid down purchase procedure.
- (xi) Sanction of pension and pensionary benefits to all Groups of entitled officers.

22.3 **Treasurer, AEES**

- (i) All matters where financial implications are involved, concurrence of the Treasurer, AEES should be obtained.
- (ii) Proposals involving financial implications need the concurrence of internal Finance as per the provisions of GFR and in consonance with Financial Propriety.
- (iii) In case of doubt, the proposal/case may be referred to Chairman, AEES for clarification through Treasurer and Secretary, AEES
- (iv) Where approval of Chairman, AEES is sought for incurring any expenditure, the relevant proposals will be put up to him through Treasurer and Secretary, AEES.
- (v) Proposals involving Administrative and Financial sanctions from Chairman, LMC, Secretary & Chairman, AEES should be routed through Chief Administrative Officer/Treasurer, so far as Mumbai schools are concerned.

22.4 **Chief Administrative Officer, AEES**

- (i) By definition CAO is the custodian of the Society Seal. In all matters concerning the Society, he/she shall act under the general control and orders of the Secretary and Chairman, AEES.
- (ii) The Chief Administrative Officer, AEES shall be in charge of correspondence relating to the Society subject to the instructions of the Secretary and Chairman, AEES.
- (iii) The Chief Administrative Officer, AEES will be in charge of the administrative/non-academic staff and the general maintenance staff of the Society.

22.5 **Local Management Committees (LMCs)**

- (i) Local Management Committees (LMCs) will be responsible for day-to-day functioning of all school, junior colleges which are under their control as per the guidelines issued by AEES from time to time.
- (ii) Local Management Committees shall exercise the administrative, financial powers as delegated by the Governing Council.
- (iii) Local Management Committee will be responsible for maintenance and up keep of premises of schools, junior colleges which are under their control.
- (iv) Local Management Committee shall exercise their powers while engaging the services of teaching and non-teaching staff on contract/adhoc basis in accordance with the rules/ regulations provided by AEES for this purpose.

Shanta K. Lahiri

एस के लाहिरी

S K LAHIRI

सचिव/ SECRETARY

परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था

Atomic Energy Education Society

अणुशक्तिनगर, मुंबई-400094.

Anushaktinagar, Mumbai-400094

Notwithstanding anything contained in this Rule or any other Rules in these Bye-Laws. Secretary to the Department of Atomic Energy shall have full powers at any time to reconstitute the Governing Council, the Local Management Committees and any other Committees provided for in these Rules. Upon such reconstitution, the earlier members of the said Council/Committee including its Chairman, Secretary and the Treasurer of the Society, as the case may be, shall cease forthwith to be members of the said bodies or hold office.

CHAPTER – IV

STAFF, ITS CATEGORIES AND APPOINTMENTS

23. Classification of the Members of the Staff of the Society (AEES)

Except in the case of employees paid from contingencies and project staff, the members of the staff of AEES shall be classified as:-

- A. Academic: - which term shall include Principal, Vice-Principal, Headmaster/ Headmistress, Post Graduate Teachers, Trained Graduate Teachers, Primary Teachers, Preparatory Teachers and such other academic posts as may be decided by the Council. In case of any doubt as to whether a particular post is academic, the decision of the Chairman, AEES shall be final.
- B. Administrative and other including Auxiliary :- which term shall include Chief Administrative Officer/ Director, Administrative Officer-III, Sr. Accounts Officers/ Accounts Officer, Asst. Administrative Officers, Asst. Accounts Officer, Private Secretary, Assistant, Assistant Accountant, Senior Translation Officer, DPA/ Sr. Clerks, Junior Translation Officer, UDCs, LDCs, Drivers, Work Assistants and Lab Assistant and such other administrative and other staff as may be decided by the Chairman, AEES/ Council. Decision of the Chairman, AEES will be final in case of any doubt the classification of the members of the staff.
- C. In addition, the employees of the Society shall be classified in to the following:
 - (i) Level 10 and above are classified and equated to Group 'A' posts of Government of India Service
 - (ii) Level 6 to 9 are classified and equated to Group 'B' posts of Government of India Service
 - (iii) Post carrying below level 5 are classified and equated to Group 'C' posts of Government of India Service(The above classification shall be treated as amended as and when amended by Government of India)

24. Appointments & Promotions

- a. All posts shall be filled as per the approved recruitment and promotion rules of the Society. All posts shall normally be filled by advertisements. But in exceptional cases, the Council shall have the power to decide on the recommendations of the Chairman, AEES that a particular post be filled by invitation or by promotion from amongst the members of the staff of the Society.
- b. While making appointments, the Society shall make necessary provisions as directed by the Governing Council for the reservation of posts in favour of SC/ST/OBC/EWS and Persons with Disabilities in accordance with the guidelines issued by Govt. of India.

Shanta Kaur Lahiri

एस के लाहिरी

S K LAHIRI

सचिव/ SECRETARY

परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था

Atomic Energy Education Society

अणुशक्तिनगर, मुंबई-400094.

Anushaktinagar, Mumbai-400094

- c. Where a post is to be filled on contract basis or by invitation, the Chairman, AEES may at his discretion, constitute such ad-hoc Selection Committee, as circumstances of each case may require.
 - d. Where a post is to be filled by promotion amongst the employees of the Society or temporarily for a period of not exceeding 12 months, the Council shall lay down the procedure to be followed.
 - e. Notwithstanding anything contained in these bye-laws, the Council have the power to make appointments of persons trained under "approved" programmes in such a manner as it may deem appropriate.
 - f. The Council can frame rules or procedures in line with the regulations of Government for the appointment of overseas citizens of India (OCI) in the Society.
 - g. Unless otherwise provided under the bye-laws, a selection committee constituted under these laws will be eligible to exercise its functions in relation to that post until the time the appointment is made.
 - h. All appointments made/promotions given shall be reported to the Council in its next meeting.
25. **Appointment of the Chairman and Secretary of Society**
- 25.1 Nomination for the posts of Chairman and Secretary of the Society shall be made by the Secretary, DAE.
 - 25.2 The tenure of Chairman and Secretary of the Society shall be normally for a period not exceeding three years at a time.
 - 25.3 They shall be eligible for re-nomination for further term(s) by the Secretary, DAE. The maximum age of a person who shall hold the office of Chairman/Secretary of the Society shall be 65 years.
26. **Officiating Chairman/Acting Chairman, AEES**
Notwithstanding anything contained in clause 25, the Secretary, DAE may appoint a person to officiate as Chairman, AEES i.e., officiating Chairman, AEES in the absence (more than 30 days in single stretch) of the Chairman, AEES. It shall be reported to Council in the next meeting. He shall attend day-to-day affairs and shall not use the statutory powers of the regular Chairman of the Society.
27. **Appointment of Chief Administrative Officer, AEES**
The appointment of the Chief Administrative Officer (CAO), AEES irrespective of the scale shall be made by the Chairman, AEES.

CHAPTER – V FINANCE & ACCOUNTS

28. **Financial Year**
The Financial Year of the Society shall be from the 1st April to the 31st March
- Funds and Properties**
- (a) The Society will be wholly funded by the Department of Atomic Energy and the funds of the Society shall be utilized only in furtherance of the aims and objectives of the Society;
 - (b) The Office-bearers of the Society shall be jointly and severally responsible for safe custody of all the valuables, including documents belonging to the Society;

Shankar K. Lahiri

एस के लाहिरी

S K LAHIRI

सचिव/SECRETARY

परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था

Atomic Energy Education Society

अणुशक्तिनगर, मुंबई-400094.

Anushaktinagar, Mumbai-400094

- (c) The Treasurer shall be responsible for all cheque books;
- (d) Funds of the Society shall be invested in the name of Society in such manner as may be decided by the Governing Council;

FOR OPERATION OF BANK ACCOUNTS

SOCIETY ACCOUNTS:

For Mumbai

The banking accounts which will be in Scheduled Banks shall be in the name of Society for grants and shall be operated upon jointly by any two of the following officials in the appropriate level, authorised by Chairman, AEES of whom one authorised signatory shall be from accounts.

1. Secretary, AEES
2. Treasurer, AEES
3. Any two officials from Central Office, AEES at the appropriate level nominated by Chairman, AEES.
4. Senior Accounts Officer/Accounts Officer, AEES or in his/her absence, senior most Asst. Accounts Officer.

Other than Mumbai

The Banking accounts which will be in scheduled banks/ nationalised banks shall be in the name of Society for grants and shall be operated upon jointly by any two of the following:

- (a) **Where a separate Administration and Accounts Unit does not exist.**
 - (i) Chairman, LMC
 - (ii) Any two members of the LMC to be nominated by Chairman, AEES
- (b) **Where a separate Administration and Accounts Unit exist.**
 - (i) Head of School to be nominated by the Chairman, AEES
 - (ii) Any two staff members of the school to be nominated by Chairman, AEES of whom one member shall be an accounts person;

PARMANU URJA VIDYALAYA VIKAS NIDHI ACCOUNT

Each AECS/JC shall have a distinct bank account (preferably with SWEEP mode) for "Parmanu Urja Vidyalaya Vikas Nidhi" with a nationalised bank, which should be distinct from other accounts of the school. In locations where there are more than one school run by AEES, each school shall have a separate account for its 'Parmanu Urja Vidyalaya Vikas Nidhi'. There will be four signatories to the account:

- (i) Chairperson, PUVVN Committee
- (ii) Member Secretary, PUVVN Committee
- (iii) HM (Sr. TGT/Sr. PGT in case of Senior Secondary Level)
- (iv) One member of PUVVN Committee

Chairperson, PUVVN Committee, along with anyone of the three signatories shall operate the account.

29. Budget & Funds of the Society (AEES)

- 29.1 The Secretary, AEES shall be in-charge of preparation of the annual budget estimates of the Society in consultation with Chairman, AEES and shall obtain the approval of the Council on the same. The estimates shall be given under various heads of accounts in accordance with the prescribed proforma of Ministry of Finance/Department of Atomic Energy.

Shanta Khar Sahi

एस के लाहिरी

S K LAHIRI

सचिव/ SECRETARY

परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था

Atomic Energy Education Society

अणुशक्तिनगर, मुंबई-400094.

Anushaktinagar, Mumbai-400094

The funds of the Society shall consist of:

- (i) Grants from DAE, its Constituents Units, PSUs under DAE, and Aided Institutions of DAE.
- (ii) Income and benefits received or accruing from properties, assets and investments of the Society, the sale of the publications of the Society tuition and other fees levied from time to time, user charges etc.
- (iii) Contributions or grants received from other sources approved by the Council.
- (iv) Income from any other source
- (v) Corpus Funds

29.2 Information in respect of receipts and expenditure shall be as per the following:-

- (a) Actuals for the preceding year
- (b) Approved budget estimates for the current year
- (c) Revised Estimates for the current year
- (d) Budget Estimates for the following year

29.3 The accounts shall be maintained as per the Accounting Standards and in the prescribed format as required by the law.

29.4 The Treasurer shall be responsible for the accounts of the Society

29.5 All bills for payment shall bear an endorsement 'PASSED FOR PAYMENT' and shall be signed by the Chairman, AEES or by an Officer of the Society to whom the power has been delegated.

29.6 A PERMANENT ADVANCE of sum to be fixed from time to time by the Chairman, AEES may be kept by the Accounts Officer or an officer of the Society authorised by Chairman, AEES for cash payments.

29.7 All money received for or on behalf of the Society shall be placed in the name of the Society in current, savings or fixed deposit accounts with a PSU, bank or any other bank notified by the Ministry of Finance as per DAE procedures.

29.8 Inspection: Any member of the Council may, by previous appointment with the Secretary, AEES examine the accounts of the Society. Such previous appointment shall be obtained by a request in writing addressed to the Secretary, AEES. The Secretary, AEES shall, on receiving such request, fix a day and time not later than 15 days from the receipt of intimation and inform the member accordingly.

30. **Audit**

The accounts of the Society shall be audited every year by qualified Chartered Accountant or Accountants (Statutory Auditors) as prescribed by law and shall be appointed by the Chairman, AEES with the approval of Council from time to time for the purpose. The Statutory Auditors should be selected from the empanelled list with the Comptroller & Auditor General. The term of the auditors shall be for three years.

31. **Exercise of Financial Powers**

The Society shall be governed by the orders issued by the Department of Atomic Energy from time to time on matters relating to Delegation of Financial powers in respect of Purchases, works contract, consultancy contract etc. The Governing Council shall delegate its powers to the various authorities to the extent necessary.

Shanta Khar Sahni

एस के लाहिरी

S K LAHIRI

सचिव/SECRETARY

परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था

Atomic Energy Education Society

अणुशक्तिनगर, मुंबई-400094.

Anushaktinagar, Mumbai-400094

CHAPTER – VI COMMITTEES

32. Finance Committee

32.1 There shall be a Finance Committee which shall consist of the following officials:-

- (a) Chairman, AEES will be Chairman of the Committee
- (b) Secretary, AEES
- (c) Joint Secretary, DAE dealing with the Society
- (d) Joint Secretary (Finance), DAE
- (e) Treasurer, AEES
- (f) CAO, AEES
- (g) Senior Accounts Officer/Accounts Officer to be the Secretary of the committee

32.2 The functions of the Finance Committee shall be as per the following:-

- (i) Examine and scrutinize the accounts and annual budget estimates of all the AEC Schools and AEES and to make its recommendations to the Council.
 - (ii) Consider and make recommendations to the Council on proposals for new expenditure on account of major works and purchases.
 - (iii) Review of the finances of AEES from time to time and to have concurrent audit conducted wherever necessary
 - (iv) Any other issues related to the finances of the Society
 - (v) Examine the annual financial statement of the Society
 - (vi) Fixing and reviewing of tuition and other fees and user charges
 - (vii) The Committee shall submit its minutes to the Council for consideration and ratification.
 - (viii) Exercise of Financial Powers of the Governing Council on matters relating to finalizing consultancy contracts, works and procurement contract.
 - (ix) Analysis of all Financial Reports and AEES Annual Report on Accounts being presented in Parliament through DAE for all Income and Expenditure
 - (x) Management of investment under Employees Provident Fund account which is invested in various categories prescribed by Ministry of Finance from time to time.
 - (xi) Monitoring and preparation of Annual Report on Accounts of all Receipts and Expenditure under the Head Revenue, Provident Fund (inclusive of SGL-DMAT accounts of Investments), GSLIS, FRS, PUVVN, Common Pupils Fund, etc. with duly audited Statements by Statutory Auditor and its submission to Governing Council in its Annual General Meeting. And further to both the Houses of Parliament through DAE.
- 32.3 The Committee shall meet as often as necessary or as Council/Chairman, AEES desires to do so for any specific task.

33. Buildings and Works Committee (BWC)

There shall be a Building and Works Committee (BWC) of the Society constituted by the Council. The Committee may consist of 5-7 members under the chairmanship of Secretary of the Society as may be nominated / constituted by the Council. The representative from the Administrative and Finance

Sections/divisions of Local DAE Units and technical representative from DCSEM etc. shall be included in Committee. The Committee shall function under the direction of the Council and within the frame work of DAE / CPWD Works procedure. The Committee will advise AEES on the detailed programme of major works and provide expert technical advice with regard to the major civil works for buildings and infrastructure from time to time.

34. **Academic Committee.**

The Chairman, Secretary, Head, Academic Unit of AEES and such other members like expert academician/educationist as may be decided upon by the Council, shall constitute the Academic Committee of the Society. The terms of reference and the functions of the Committee will be as laid down by the Council which may also be as per the following:-

- (i) It will advise/make recommendations to the Council all matters pertaining to the academic and co-curricular activities of the Society
- (ii) Review periodically these programmes and suggest measures for overcoming deficiencies
- (iii) Help Schools and Junior Colleges to realise the objectives and aims of the AEES.
- (iv) It will formulate its own procedures for possible implementation of these recommendations.
- (v) It shall be responsible for making recommendations to the Council for promotion and appointment of the academic staff of the Society.

CHAPTER – VII
SERVICE CONDITIONS

35. A. **Disciplinary Rules**

35.1 The authority which appoints a member of the staff of the Society may suspend, discharge, dismiss, or otherwise punish him/her for the misconduct or for breach of the terms and conditions of his/her appointment, after following the prescribed procedure for the same.

35.2 The provisions of the CCS (Conduct) Rules, 1964 will apply mutatis mutandis to all the employees of Atomic Energy Education Society. In addition to this, AEES Conduct Rules for Teachers-2024 shall also be applicable to teachers. Violation of these shall make an employee liable for action under the Central Civil Service (Control Classification and Appeal) Rules, 1965.

B. **Service Rules**

- (i) The Society will follow Central Government Rules as amended from time to time in matters relating to Leave, TA, LTC, Children's Education Allowance, Hostel subsidy, Medical expenses, Non-interest and interest bearing advances and other service conditions of its employees with such modifications as may be adopted by the Society.
- (ii) The Society shall have a Pension Scheme framed on the lines of CCS (Pension) Rules, 1972 as amended from time to time, which shall cover all regular employees of the Society joining service on or (after) 7th July, 1987 as well as such of the regular employees already in service of the Society on that date who have not specifically opted in writing to continue in the C.P. Fund Scheme which they were subject to earlier.

Shanta Khardekar

एस के लाहिरी

S K LAHIRI

सचिव/SECRETARY

परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था

Atomic Energy Education Society

अणुशक्तिनगर, मुंबई-400094.

Anushaktinagar, Mumbai-400094

- (iii) The Society shall also have its own General Provident Fund/Contributory Provident Fund framed on the lines of the provisions of General Provident Fund (India) Rules, 1969 and Contributory Provident Fund (India) Rules, 1962 under P.F. Act, 1925. Employees who are appointed on or after 01/01/2004 shall be covered under NPS.
- (iv) Society shall have a proper system of Review of its employees as per the provisions of FR-56(j).

36. Leave Rules

- 36.1 Employees will be granted leave (including casual leave, earned leave, leave on medical grounds etc.) in accordance with the CCS (Leave) Rules, 1972 and as adopted from time to time by the Society. Rules for the study leave, sabbatical leave, extraordinary leave etc. shall be as per the guidelines of DAE.
- 36.2 Leave cannot be claimed as a matter of right. Where the exigencies of office so require, discretion to refuse or revoke leave of any description is reserved to the authority empowered to grant leave.

37. Promotion of Staff

Society shall introduce Annual Performance Appraisal Reports (APAR) for its employees. The APAR in respect of academic staff of the Society shall be in line with the recommendations of Academic Committee of AEES and approved by competent authority. As regards to the Administrative, Accounts and Auxiliary personnel, the Society should follow the system as per the guidelines followed in DAE.

38. Reservations of posts for SC/ST/OBC(NCL)/EWS and PWD:

The Government of India Rules / Orders issued from time to time regarding reservation of posts for SC/ST/OBC(NCL)/EWS and Physically Handicapped shall apply to the extent applicable in regard to appointments to posts to be made in the Society.

39. Contractual Services

The Chairman, AEES will outsource and contract out infrastructural, support, maintenance and other related services for the Society as far as possible. Any person engaged by the contractor shall not be considered as an employee of the Society.

**CHAPTER – VIII
MISCELLANEOUS**

40. Execution of Contracts on behalf of AEES

All agreements, contracts etc., which may be necessary for the proper conduct of business of the Society shall be executed on behalf of the Council by the Chairman or Secretary of the Society authorized by the Council for the purpose.

41. Perpetual Succession

The Society shall have a perpetual succession and shall be capable of suing or being sued in its name through its Chief Administrative Officer.

42. Amendments of the Bye-Laws

The Council shall have the power to alter, add or modify the provisions of these Rules by a three-fourth of its member present in the meeting called for the purpose. The Bye-Laws can be amended with the concurrence of Department after following due procedure enumerated in the respective statute by which the Society is registered.

43. Residuary Power

Powers not vested in the Bye-Laws can be exercised by the Council in consultation with DAE.

44. Interpretation of Bye-Laws

If any question arises relating to interpretation of the bye laws or any provisions of the rules of governance, the decision of the Council is final and binding on all. However, all matters relating to interpretation of service conditions of the employees shall be referred to DAE.

45. Power to Relax

The Council is competent to relax any or all provisions of the Bye-Laws in the larger public interest.

46. Annual Report

The Council shall submit an annual report on the working of the Society to DAE which shall include the Audited Statement of Accounts pertaining to the concerned financial year.

47. Right to Information Act

The Society shall take all necessary steps for the implementation of the RTI Act 2005 by appointing appropriate Public Information Officers, Appellate Authorities and Transparency Officer. The Society shall also monitor the Section 4 of RTI Act 2005 and ensure that proactive disclosures are properly updated and updated periodically.

48. Establishment of Grievances Redressal Mechanism

There should be proper mechanism for the Redressal of Grievances of staff as well as public. The Society shall appoint a Public Grievance Officer for setting the grievance petitions in a time bound manner.

49. Implementation of Sexual Harassment Act

The Society shall ensure that 'The Sexual Harassment of Woman at Work Place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act is implemented in the Society in true spirit and form.

50. Rules and Regulations

The Society shall follow the above bye-laws and in addition, to the above, additional Rules and Regulations may be framed for its activities ensuring that provisions mentioned above in the bye-laws are not violated i.e., should not be in contradiction to the provisions of above Bye-Laws or Government's/ Department's directives. In the event of there being any inconsistency between Rules & Regulations and these Bye-laws, the provisions of Bye-laws shall prevail.

Shankar K. Lahiri

एस के लाहिरी

S K LAHIRI

सचिव/ SECRETARY

परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था

Atomic Energy Education Society

अणुशक्तिनगर, मुंबई-400094.

Anushaktinagar, Mumbai-400094

51. Matters not Covered Herein

If any question arises which is not covered by these Bye-Laws, the decision of the Council shall be final and approval of DAE will be taken whenever required.

52. Saving Clause

Any directives by the Government or Department shall be the binding on the Society and shall have the overriding effect on any provision of bye-laws, statutes or rules of the Society.

Shankar K. Lahiri

एस के लाहिरी

S K LAHIRI

सचिव/ SECRETARY

परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था

Atomic Energy Education Society

अणुशक्तिनगर, मुंबई-400094.

Anushaktinagar, Mumbai-400094

No 02920



नोंदणीचे प्रमाणपत्र

याद्वारे प्रमाणपत्र देण्यात येते की खाली वर्णन केलेली सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था ही आज, मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९५० (सन १९५० चा मुंबई अधिनियम क्रमांक २९) यावरचे अनुसूचक संस्था आहे.

येथील सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था नोंदणी कार्यालयात योग्य रीतीने नोंदण्यात आली आहे.

सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्थेचे नाव अनुसूचक संस्था

सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था नोंदणी पुस्तकातील क्रमांक १५५४ (मुंबई)

आज दिनांक १५/१२/५२ यास प्रमाणपत्र दिले.

१९६२ रोजी माझ्या सहीनिशी दिले.

[Signature]

Deputy Commissioner,
Greater Bombay Region, Bombay.



[Spl.—CC. BPT 50.]

No 5091



CERTIFICATE OF REGISTRATION

The Societies Registration Act, 1860.

(ACT XXI OF 1860)

Maharashtra State

Registration No. Bom 23/69 G.B.B.S.D.

IT IS HEREBY CERTIFIED THAT Atomic Energy

Education Society

has this day been duly registered under the Societies Registration Act, XXI of 1860

Given under my hand this

21st day of Feb 1964



Assistant Registrar of Societies,

Gr. Bombay Region.